ernment, I feel constrained to make a few observations about the way the Supplementary Demands are put before the House.

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow. We will take up the Backward Classes Commission's report.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): You have deprived us the pleasure of hearing a good speech.

14.30 hrs.

MOTION *RE*: REPORT OF BACKWARD CLASSES COMMISSION—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Yashpal Singh on the 3rd October, 1964, namely:—

> "That this House takes note of the Report of the Backward Classes Commission (Vols. I—III) together with the memorandum explaining the action taken thereon, laid on the Table of the House on the 3rd September, 1956."

Shri Kachhavaiya was on his legs.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में जो कमिशन बनाया गया उसने अपनी रिपोर्ट सन् 1956 में दी थी । उस की नियुक्ति 10 जनवरी, 1953 को हुई थी, लेकिन पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में उन्होंने जो रिपोर्ट दी सन् 1956 में उस पर हम अब विचार करने जा रहे हैं । यह पिछड़ी जातियां बहुत गरीब जातियां हैं । हमारी सरकार ने उन के लिये कानून बहुत अच्छे बनाये लेकिन विचार करने की बात यह है कि उन्हें वास्तव में कितनी सहूलियतें दी जाती हैं ।

मैं आपके सामने उड़ीसा का एक उदाहरण रखना चाहता हूं । उड़ीसा के अन्दर चालीस लाख आदिवासी और हरिजन जातियां हैं । उन चालीस लाख लोगों को जो सहायता दी जाती है उस सारी की सारी सहायता को जो एक लाख ईसाई लोग हैं वह खा जाते हैं । उड़ीसा के अन्दर जेजेगोंडा गांव है वहां पर करीब एक हजार आदिवासी परिवार रहते हैं । उन लोगों को उजाड़ा गया । क्यों उजाड़ा गया, क्योंकि उनके स्थान पर जानवरों को बसाना है । जानवरों की प्रदर्शनी के लिये उनको उजाड़ा गया ।

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Deputy-Speaker: The Bell is being rung—Now there is quorum. He may continue.

श्री हुकम चन्द कछवाय : आदिवासियों को उजाड़ा गया, उनकी झोंपड़ियों को जलाया गया । हमारी सरकार की यह नीति, उसकी यह कार्यवाही बिल्कुल गलत है ।

इसके बाद मैं मध्य प्रदेश की बात भी कहना चाहता हूं जिस के लिये हमारे बहुत से सदस्य कहते हैं कि हमें ज्यादा अन्न पैदा करना चाहिये । मैं आप के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं । मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में जहां पर फसलें खड़ी थीं आदिवासियों की छोटी मोटी फसलों को नष्ट नहीं किया गया, एक करोड़ रुपये की फसलों को नष्ट किया गया । खड़ी फसलों को काट कर गिराया गया । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से जो हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री बड़े हैं, उन की लिखी हुई पुस्तक को यहां पर रखना चाहता हूं । उन की पुस्तक का नाम है : "कांग्रेसी राज में पश्चिम निमाड़ के बनवासियों की दुःखभरी कहानी" ।

उन लोगों की पूरी दुर्दशा उस में बताई गई है । मैं उस को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं ।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

मैं बतलाना चाहता हूं कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों के साथ आज किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। आप देखिये कि सन् 1963 में जो नौकरियां दी गईं उन में किस प्रकार से पक्षपात किया गया। सन् 1963 के अन्दर जो नौकरियां सरकारी दफ्तरों में थीं वह 8,632 थीं क्लास 1 में। इन नौकरियों में से हरिजनों को कुल 113 नौकरियां मिलीं और परिगणित जातियों को 13 नौकरियां मिलीं। क्लास 2 में कुल 14,330 नौकरियां थीं। उन में से हरिजनों को 330 नौकरियां दी गईं और दूसरी परिगणित जातियों को 31 दी गईं। इसी तरह से क्लास 3 में कुल नौकरियां 6,20,580 थीं। उन में से 46,366 नौकरियां हरिजनों को और परिगणित जातियों को 5,310 नौकरियां दी गईं। इस तरह का पक्षपात आज उन के साथ किया जा रहा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आज हरिजनों की आवश्यकता क्या है? आज उन को मकानों की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। उन को आज थोड़ा ऊपर उठाने की आवश्यकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम ने कितनी तरक्की की है। सरकारी तौर पर हम ने स्कूल खोले हैं लेकिन उन में भी कितना पक्षपात होता है। उन को खाने को भी ठीक नहीं मिलता है, शिक्षा जो उन को दी जाती है वह उस तरह से नहीं दी जाती जिस प्रकार से मिलनी चाहिये। पढ़ने के लिए जो पैसा दिया जाता है वह भी उनको ठीक से नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि स्थान-स्थान पर उन के लिए कुछ अच्छे बोर्डिंग खोले जायें जिन में अधिकतर हरिजन बच्चे आयें और अच्छी शिक्षा लें। उन को अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनने को मिले और वहां से वह अच्छे नागरिक हो कर निकलें। हमारी सरकार ने उन के लिए जो स्कूल खोले भी हैं उन में उन के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है।

देहातों में हरिजनों की जो समस्या है वह पानी की है, रहने के लिए मकान की है और जमीन की है। आप सोचिये कि किन लोगों को हम ने जमीन दी है, गवर्नमेंट ने पिछड़ी जातियों के लिए कितने अच्छे मकान खड़े किये हैं, कितने लोगों को वह अच्छी शिक्षा दे पाई है। अगर इस बात पर हम गौर करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो कुछ किया गया है वह नहीं के बराबर है। बिल्कुल तिल के बराबर है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि वह सोचे कि शासन किस गति से आज बढ़ रहा है। आज उस को इस गति से नहीं बल्कि इस से चौगुनी गति से बढ़ना चाहिये और चौगुनी गति से पिछड़ी जातियों के उन्नति के लिए काम करना चाहिये। चौगुनी गति से काम होगा तभी पिछड़ी जाति के लोग आगे बढ़ सकते हैं।

आखिर आज पिछड़ी जातियों की समस्यायें क्या-क्या हैं। जब मर्दुमशुमारी होती है उस समय आप को खोज करना चाहिये कि उन की कमियां क्या-क्या हैं, उन को आवश्यकता किस चीज की है। इस बात की जानकारी को हमेशा सामने रखना चाहिये ताकि उन लोगों की समस्या हमेशा हमारे सामने रहे। इस तरह का प्रस्ताव हर साल हमारे सामने आना चाहिये और हम उस पर विचार करें जिस प्रकार से हम मंत्रियों के विधेयकों पर विचार करते हैं उसी प्रकार से पिछड़ी जातियों की मांगों पर विचार करें। हरिजनों के सम्बन्ध में सोचा जाना चाहिये कि वह लोग कितने ऊंचे उठे हैं, कितनी उन्हें सहायता मिली है, कितने आगे वह बढे हैं, कितना हम को अभी बढ़ना है और कितनी कमी

बाकी है । यह सारी की सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहियें ।

मैं आप के द्वारा सरकार से एक बात और भी कहना चाहता हूं । सरकार कहती है कि हम ने हरिजनों का बहुत उत्थान किया है । ऐसा होता तो बड़ी अच्छी बात होती लेकिन ऐसा हुआ नहीं है । हरिजन जातियों में से जो लोग आगे बढ़े हैं वह तमाम लीडर बन गये हैं, नेता बन गये हैं । सारी की सारी सहूलियतें जो हरिजनों को मिलनी चाहिये वह इन लोगों के कारण उन को नहीं मिल पाती है । वह सारे का सारा पैसा यह नेता लोग बटोर कर अपने पास रख लेते हैं । वह लोग कहते हैं कि हरिजन लोग आगे आये है लेकिन अनुभव से मालूम होता है कि वह बिलकुल आगे नहीं आये हैं । इस तरह की भावना उन लोगों में रहती है, इस लिये बाकी लोगों को जो सहूलियतें मिलनी चाहियें वे नहीं मिल पाती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सब को मौका मिलना चाहिये । कुछ लोग आगे आ गये हैं और मंत्री बन गये हैं तो यह नहीं सोचना चाहिये कि अगर एक आदमी मंत्री बन गया और उस के पीछे 15 या 20 आदमी और आगे बढ़ गये तो बाकी लोगों को कुछ देने की जरूरत नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि यहां जो हरिजन सदस्य बैठे हैं उन में से कितने मंत्री बन गये । बहुत से पुराने लोग है जिन को अब भी नहीं लिया गया है ।

एक माननीय सदस्य : विदेशों में भी नहीं भेजा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : और न विदेशों को भेजा । क्यों आप उन के प्रति ऐसी भावना रखते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसी भावना रखना ठीक नहीं है । आज जो भी बड़े मंत्री के साथ पड़ गया उसका हुकम चलता है । वही लीडर बन जाता है और जो एड वगैरह मिलती है उस को वह हजम करने लगता है । इस सम्बन्ध में मुझे यही सुझाव देने थे और आप की आज्ञा से मैं श्री बड़े साहब की किताब सदन के पटल पर रखता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: No books need be laid on the Table, unless wanted by Government.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): There is no space on the Table either.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Mahadeo Prasad. Please take ten minutes each.

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम ने अपने देश में जिस राज्य की स्थापना का निश्चय किया है उसका आधार, जैसा कि संविधान में दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रखा गया है । साथ ही साथ हम ने अपने देश में ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की जिस में सब के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो । इस प्रकार के राज्य और समाज की रचना बावजूद इस के कि इस वक्त हमारी भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है हमारे लिये सर्वथा नवीन है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker: The Bell is being rung—Now there is quorum. He may continue.

डा० महादेव प्रसाद : प्राचीन भारत में तो समाज राजा और प्रजा में विभक्त था । राजा का बहुत महत्व था । ऋग्वेद में कहा गया है—राजा राष्ट्राणां पेशः । तैत्तीरीय संहिता में कहा गया है—राजा हि कं भुवनानाम् श्रीः । बौद्ध जातक में कहा गया है—अराजकं नाम रट्ठपालेन न सक्का । वाल्मीकि रामायण में तो बिना

[डा० महादेव प्रसाद]

राजा के राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की गई—भराजकं हि नो राष्ट्रं ।

यथाह्यनुदकानद्योवाप्यतृणं वनम् ।
भगोपाला यथागाव; तथा राष्ट्रमराजकम् ।।

बिना दूध के जैसे गौ की कल्पना नहीं की जा सकती, जिस प्रकार से बिना पानी के तालाब की धारणा नहीं की जा सकती उसी तरह से बिना राजा के राज्य की भी कल्पना नहीं की जा सकती । किन्तु राजा और प्रजा के बीच में अनेक संस्थापनायें थीं और सच पूछिये तो भारतीय समाज और भारतीय जीवन का नियमन इन्हीं संस्थापनाओं के द्वारा होता था । एक प्रकार से तो राजा धर्मस्य रक्षतारः, राजा का जो कर्तव्य था वह धर्म की रक्षा करना था और धर्म मुख्य रूप से वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था से सम्बन्धित था । वर्णाश्रम धर्म का जो आश्रम अंश है उसका तो न जाने कब का ही लोप हो गया किन्तु वर्ण-व्यवस्था किसी न किसी रूप में अभी भी चली आ रही है । याज्ञवल्क्य स्मृति में इसी प्रकार से यह भी कहा गया है कि समाज के जो नियंत्रक दूसरे तत्व हैं जो कि रूढ़िवादी आज के समय में माने जाने चाहिये उनको भी कायम रखना राजा का धर्म था । उसमें कहा गया है —

श्रेणिनैगम पापण्डि गणानामाययम् विधिः
भेदांचैशाम् नृपोरक्षेत् पूर्ववृत्तिचपालयेत् ।।

भारत में राज्य का संचालन फिर इस प्रकार से होता रहा कि जिससे वह वर्णव्यवस्था जिसका आधार समाज को ऊंची और नीची जातियों में विभाजित करना था या रहा और फिर नियम और विधान जो भी बने वह समानता एवं न्याय के आधार पर नहीं बने बल्कि सब के पीछे समाज का जो एक ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजन है वह दृष्टि थी । एक सदस्य ऊंच नीच का तो नहीं था । यह कहिये विभाजन था । ऊंच नीच का नहीं था ।

डा० महादेव प्रसाद : वह पहले की बात है जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते । उसको छोड़िए । आज जो देख रहे हैं उसको करिये ।

केवल अशोक ऐसे कुछ एक राजाओं को छोड़ कर कहीं पर भी हमें प्राचीन भारतीय समाज में दंड समता और व्यवहार समता देखने को नहीं मिलती । और इसलिये स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी हिन्दुस्तान की कहानी में हमें बताया कि :

> "हिन्दुस्तान के कारनामें और उसकी कामयाबियां बहुत करके ऊंचे वर्ग के लोगों तक महदूद थीं, नीचे स्तर के लोगों को बहुत कम मौके हासिल थे और उनकी तरक्की पर सख्त पाबन्दियां लगी थीं ।"

भारतवर्ष में प्राचीन काल में तो यह होता था । आधुनिक काल में भी . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है । . . . . . अब गणपूर्ति हो गई है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

डा० महादेव प्रसाद : आधुनिक युग में भी उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रीय आन्दोलनों के परिणामस्वरूप यूरोप में सामाजिक भेदभाव तो विनष्ट हुए किन्तु भारत में यह शक्तियां या तो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक प्रकट ही

नहीं हुई और यदि प्रकट भी हुई तो ब्रिटिश शासन के फूट डालो और राज्य करो.. .... (व्यवधान)

श्री हरि विष्णु कामत : आप कह रहे हैं कि गण की अपूर्ति है। आपका भाषण भी अपूर्ण रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति नहीं है। प्लीज वेट। घंटी बज रही है. अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

डा० महादेव प्रसाद : और जब यह शक्तियां प्रकट हुई तो ब्रिटिश शासन के फूट डालो और राज करो की नीति ने उन्हें बेकार बना दिया। 1921 में हुई जनगणना के दो सुपरिन्टेन्डेन्टों में एक का नाम मिडिलटन था उसमें लिखा है कि—

> "हमारे भूमि अभिलेखों और सरकारी दस्तावेजों ने जातीयता की पुरानी रूढ़ियों को लौह बन्धन से जकड़ दिया। हम ने जाति के आधार पर हर एक को कबूतरखानों में रखा और अब भी जाति की बात चली आ रही है।"

कभी कभी यह एतराज किया जाता है कि इस समय जबकि हम ने अपने देश में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है, यह जाति की चर्चा क्यों की जाती है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद यूरोपीय देशों में जिस प्रकार का परिवर्तन आया उस प्रकार के परिवर्तन की दशा हमारे देश में नहीं उपस्थित हुई। हमारा देश तो उन्हीं पुरानी चीजों से बंधा हुआ चला आ रहा है। इसलिए इस वक्त भी जाति से जो दुर्भावनायें, दुर्व्यवस्थायें हमारे समाज में फैली हुई हैं उनकी चर्चा करनी ही होगी। बल्कि उनकी चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक है और इसलिए 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों की जांच कर उसे दूर करने के लिए सुझाव देने के अभिप्राय से पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 24 में कहा गया है—

> "ब्रिटिश शासन की एक विशेष बात यह थी कि सरकारी तथा अन्य नौकरियों में ऊंची जातियों का जमघट था। ऐसी जातियां जो पुश्त दर पुश्त से व्यापार में तथा वाणिज्य में लगी चली आ रही थीं उन्हें कमीशन एजेंट बना दिया गया। यह जातियां धनी और प्रभावशाली बन गई। जो छोड़ दिये गये थे वे थे छोटे किसान, कारीगर और खेतिहर मजदूर तथा अछूत। वे गरीब और गंवार रह गये। इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते थे।"

और इसलिए यह उचित ही था कि हमारे संविधान के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अनुसार यह कहा गया कि पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्गों की हालत में सुधार करने के लिए राज्य को विशेष उपाय करने चाहिए। और अभी पिछले दिनों जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी जीवित थे तो भुवनेश्वर में हम ने अपने देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने का निश्चय किया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन् कि जहां यूरोप के देशों में समाजवाद का सम्बन्ध केवल आर्थिक वर्गों से सम्बन्धित था, यहां वह प्रश्न आर्थिक वर्गों से सम्बन्धित तो है लेकिन उससे भी ज्यादा जो जातिगत समस्या है, जो जातियां हैं, क्लास ही नहीं कास्ट से भी सम्बन्धित है। और हम तब तक अपने देश में अभीष्ट लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते जब तक कि कास्ट से सम्बन्धित जो बड़ा वर्ग है उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय नहीं करते और उस वर्ग को भी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचा देते जहां कि अगड़े वर्ग के

[डा० महादेव प्रसाद]

लोग पहले से आये हुए हैं। जो समाजवाद के लक्ष्य की मंजिल है उसमें अगर अगड़े और पिछड़े वर्गों को एक साथ खड़े हो कर दौड़ने के लिए कहेंगे तो यह निश्चित है कि अगड़े लोग अगड़े रह जायेंगे क्योंकि वे अगड़े हैं, और पिछड़े लोग हमेशा के लिए पिछड़े रह जायेंगे।

कहा जाता है कि इन 18 सालों में काफी काम इन वर्गों के सुधार के लिए किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने कुछ उद्धरण रखना चाहता हूं।

सामुदायिक योजना के मूल्यांकन की पांचवीं रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्यतया हरिजनों और पिछड़ी जातियों ने सड़कों, कुवों और स्कूलों के बनने से औरों की तरह लाभ तो उठाया है किन्तु चूंकि कार्यक्रम विशेष करके कृषि पर केन्द्रित किया गया है, यह वर्ग लाभ नहीं उठा पाया है क्योंकि हरिजन और पिछड़ी जातियां या तो भूमिहीन मजदूर हैं या दूसरे व्यवसायों पर निर्भर रहती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सामुदायिक विकास मूल्यांकन मिशन 1959 ने भी प्रकारान्तर से उक्त रिपोर्ट का समर्थन किया है और कहा है कि खेतिहर मजदूर, हरिजन और पिछड़े वर्गों से आते हैं और खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित 1960 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ग की आर्थिक अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है।

कलकत्ता के समाजशास्त्र के प्रोफेसर श्री रामकिशन मुकर्जी की जांच का निर्णय है कि यद्यपि गांवों में मुख्य धंधे के रूप में कृषि सब के लिए पूर्ववत कायम है, तथापि जातिक्रम में ज्यों ज्यों नीचे उतरते हैं त्यों त्यों इन जातियों के लिए कृषि का महत्व बढ़ता जाता है।

और श्रीमन्, 1880 में नियुक्त प्रथम दुर्भिक्ष आयोग (फर्स्ट फैमीन कमीशन) ने हिन्दुस्तान की गरीबी की बीमारी का निदान करते हुए बतलाया कि "भारत के लोगों की अधिक गरीबी और खतरों के जिनके लिए वे कम पैदावार के दिनों में शिकार होते हैं, की जड़ में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जनता का प्रायः एक मात्र पेशा खेती है। मौजूदा बीमारी का तब तक पूरी तौर पर इलाज नहीं हो सकता जब तक व्यवसायों की विभिन्नता को शुरू कर कृषि से फालतू जन भाग को हटा कर उसे जीवन निर्वाह के लिए उद्योगधन्धों या इसी प्रकार दूसरे रोजगारों में न लगा दिया जाये।"

तो फिर प्रोफेसर मुकर्जी के अध्ययन के परिणाम अर्थात् पिछड़े वर्गों द्वारा उत्तरोत्तर कृषि को अधिक महत्व देने का अर्थ है उनकी गरीबी और पिछड़ेपन का बढ़ना।

प्रोफेसर मुकर्जी के अध्ययन का दूसरा परिणाम है ऊंचे स्तर की कारीगरी के व्यवसायों में उच्चतम जातियों का उच्चतम केन्द्रीयकरण और इसके प्रतिकूल निम्नतम जाति समूहों का निम्न या निम्नतम। दूसरी ओर अर्ध-कुशल या अकुशल व्यवसायों में निम्न जातियों का अधिकतम केन्द्रीयकरण और ऊंची जातियों का निम्न या निम्नतम।

कुल मिला कर उनका निर्णय यह है :

> "जातिगत वरीयता व्यवसायगत वरीयता से अब भी निश्चित रूप से सम्बन्धित है और सामाजिक संगठन में अभी कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो पाया है तथा समाज के आर्थिक ढांचे पर जाति प्रथा अब भी अड्डा जमाये बैठी है।"

इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की दयनीय स्थिति पर 1961 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से भी प्रकाश पड़ता है। यद्यपि इसमें जाति का उल्लेख नहीं है, किन्तु पिछड़े वर्गों में अधिकांश वे अकृषक मजदूर शामिल थे जो अपने पारस्परिक पेशे में लगे हुए थे।

1931 की जनगणना के अनुसार अकृषक मजदूरों की संख्या 26 प्रतिशत थी किन्तु 1961 में यह घट कर 20 प्रतिशत हो गयी और यह पेशे भी क्या है और इन की आमदनी भी क्या है, मुश्किल से नमक रोटी मिल पाती है ।

और अन्त में, पेंसिलवानिया के साउथ एशिया रीजनल स्टडीज के प्रो० रिचर्ड डी० लेम्बर्ट ने मिल के मजदूरों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन अभी 1964 में प्रकाशित किया है । उसमें कहा गया है :

> "ऊंची जगहों पर ऊंची जाति के लोग काम करते हैं पिछड़ी जातियां या तो इन जगहों पर नियुक्त ही नहीं हुई हैं अथवा यदि हुई भी है तो सभी फैक्टरियों में उनकी औसत आय कम है ।"

इसलिए मैं सदन से आप के द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर इन तथ्यों के प्रकाश में विचार करें और सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़ी जाति के लोगों के जीवन को उठाने के लिए, समाज में आमूल परिवर्तन करने के लिए और जो अभीष्ट लोकतंत्रीय समाजवाद है उसके देश में लाने के लिए इस कमीशन की सिफारिशों पर सरकार अमल करने के लिए तुरन्त कदम उठावे ।

Mr. Deputy-Speaker: 2 hours and 25 minutes remain.

How much time does the Minister want for his reply?

The Minister of State in the Ministry of Law and Department of Social Security (Shri Hajarnavis): About 15 to 20 minutes.

Mr. Deputy Speaker: I must also give some time to Shri Yashpal Singh to reply. How much time will he require?

Shri Yashpal Singh (Kairana): 15 minutes.

Mr. Deputy Speaker: I will call the Minister at 4-25 PM. Shri D. J. Naik.

Shri D. J. Naik: (Panchmahals): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I congratulate Shri Yashpal Singh for having moved the motion for the consideration of the Report of the Backward Classes Commission. I fail to understand why this Report was shelved for 9 long years. Does it imply that the Government is not so zealous and is not imbued with fervour to tackle the problems of the backward classes?

Sir, I know much has been done. But even then the backward classes still remain on the lowest rung of our society. During the last 10 years, much has been done particularly in the field of education? In 1951, the literacy percentage for the whole of India was 16.6 and now, in 1961, it has risen to 24. At the same time, may I know whether the benefits of education have percolated to the backward classes and particularly to the scheduled castes and scheduled tribes?

The Commission has given some criteria for general guidance. The first two criteria are:

(1) Low social position in the traditional caste hierarchy;

(2) Lack of general educational advancement among major section or a caste or community.

I understand these two criteria. But then the other two criteria are:

(3) Inadequate or no representation in Government service;

(4) Inadequate representation in the field of trade, commerce and industry.

I do not understand this. If these people receive higher education, I think, criteria (3) and (4) are not useful. The main factor is to educate these people in the best possible way, to give them higher education and then to see that they receive full represen-

[Shri D. J. Naik]

tation in the services and also in the field of trade, commerce and industry.

Then, the list prepared by the Backward Classes Commission of the backward classes is a very long one. It consists of about 2,399 castes and communities, and the population of about 911 communities is 11.57 crores, and if you add about 9 crores for the scheduled castes and scheduled tribes it will come to about 21 crores.

The Commission has said that women are backward. I can understand about the women of the scheduled castes and scheduled tribes and about the women of other backward classes. They are really backward. But I fail to understand how the women of advanced classes, Brahmins and Vaishyas are considered to be backward. I belong to a Brahmin caste and my mother was absolutely illiterate and even then I could not call her backward. My wife has not gone to school but she is not backward. She has trained her children very well and they are now faring well in the society. So, all the women cannot be classed as bacward. Even Kaka Kalelkar—I have great reverence for him—after the signing of this Report says this in the preface:

> "This was a rude shock and it drove me to the conclusion that the remedies we suggested were worse than the evil we were out to combat. This painful realization came to me almost towards the end of our labours. I could not stem the current of opinion within the Commission itself and ultimately decided, though reluctantly, to side with the majority with whom I had co-operated throughout in formulating remedies on caste basis."

15 hrs.

That is where the crux of the problem lies—whether we should consider caste as the basis of backwardness or we consider the backwardness on the social hierarchy or the backwardness in education or the backwardness in the economic field. I feel that the social status of a community or a caste should be taken first. I know that, in the Hindu society, there is the social hierarchy and unless that order is changed, we would not be able to have a caste-free society. We have pledged ourselves for a casteless and classless society. Are we going towards that goal? I do not think that we are going towards that goal. Still caste remains. Some of the castes are considered very low in the social order of our society. Unless that order is changed, I think no amount of economic upliftment or other kind of ameliorative measures will rid the Hindu society of the caste system. Today the Banaras Hindu University Amendment Bill was discussed. What does it signify? Have we been ridden of caste or religion? Once upon a time—I remember very well—Panditji asked Gandhiji, "you say Chaturvarnyam Mayasrishtam." That is, Gandhiji always said that there must be four varnas. So Panditji asked him how India could have a casteless society when he was always advocating for four varnas. Gandhiji said that unless and until stigma of untouchability is removed from the Hindu society, there would remain these castes. Even today if the so-called untouchable or the so-called harijan wants to have a house in a locality of Brahmins or Vaishyas, he would not get a house for rent. Dr. Ambedkar was a very great barrister and he was one of the Constitution-makers of our country. Even he did not get a house in Baroda. So still that kind of feeling among the so-called high-class people remains. Something has to be done by the Government to raise the educational level and the economic level of these people. Unless that is done, the caste system will remain. Even then, wide propaganda will have to be carried on by non-official agencies. I would say here that non-official agencies are not so much encouraged in this respect by the Central Government and the State Governments. Unless this is done, the caste

stigma will remain in the Hindu society.

Many recommendations have been accepted in this Memorandum. In the Memorandum it is said that benefits of the development under the Second and Third Five-Year Plans have been shared by the backward classes people. How much has been shared by the btckward classes? See the report of the Community Development; see the other reports also. These benefits have not percolated into the backward classes to the extent we would desire it. I know about it; I am a worker in that field. Therefore, I would urge on the Government, I would request the Government to see that all thes benefits of the Third Five-Year Plan—of educational plan and other plans—reach the backward classes. Unless this is done, there is no hope for the backward classess to come up. We should have a casteless society. Let the Government have that ideal before it and pursue that with strength, zeal and enthusiasm. I feel that it is lacking in the Central Government. In the State Government also, I feel that that fervour, that enthusiasm, is lacking. Unless we work with zeal and enthusiasm, the backward classes will have no place in the society.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि 1956 के बाद आज तक पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकी है। जैसा कि मैं कई बार सदन में कह चुका हूं शासक पार्टी के लोग सिर्फ़ कागज़ी सुधारों से आत्म-संतोष कर लेते हैं। उन को इस बात से डर सा लगता है कि अगर इन सवालों पर हाउस में बहस होगी तो तमाम सत्य लोगों के सामने आयेगा।

अव्वल तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जातियों के आधार पर पिछड़े वर्ग की बात क्यों कही जाये—यह क्यों कहा जाये कि फ़लां जाति पिछड़ी हुई है। यह बात सही हो सकती है कि किसी जाति का बहुत बड़ा भाग पिछड़ा हुआ हो लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो जैसा कि इस रिपोर्ट के मेमोरेंडम में भी कहा गया है, इस देश में कोई जाति-विशेष पिछड़ी हुई नहीं है बल्कि हर एक जाति में पिछड़े हुए लोग हैं और उनका बंटवारा आर्थिक आधार पर होना चाहिए।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : फिर तो समस्या बड़ी विकट हो जायेगी।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं उस पर भी आ रहा हूं।

यह बात सही है कि कुछ जातियां जैसे हरिजन और सफ़ाई-मजदूर बहुत पिछड़ी हुई हैं मगर मैं समझता हूं कि सरकार के पास इस का कोई निदान नहीं है। शासक वर्ग की ओर से कभी-कभी तमाम हरिजनों को बुला लिया जाता है और उन के साथ बैठ कर भोजन कर लिया जाता है और सुबह चार डंडे उन के सिर पर लगाये जाते हैं कांग्रेस के नेता ऐसा करते हैं दूसरों की बात मैं नहीं कहता हूं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य भी उस में शामिल हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं उस में शामिल नहीं हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय ये माननीय सदस्य झगड़ा कर रहे हैं और सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है—अब हाउस में कोरम है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री सरजू पाण्डेय : जब तक आर्थिक तौर उन लोगों का उद्धार नहीं होगा, तब तक उन का कल्याण नहीं हो सकता है, फिर चाहे उन के साथ बैठ कर खाना खाया जाये या न खाया जाये उस में कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। पिछड़ी जातियों में भी जो आर्थिक

[श्री सरजू पाण्डेय]

तौर से विकसित हो गये हैं उन के साथ बैठ कर खाना खाने में बड़ी जातियां अपने लिए सम्मान का अनुभव करती हैं । अगर कोई हरिजन मिनिस्टर हो जाता है तो उस के साथ बाबा जी भी खाना खाने को तैयार हैं । लेकिन अगर गांव का हरिजन कुएं पर पानी पी लेता है तो उस का लोटा भी तोड़ देते हैं और मुंह भी तोड़ देते हैं ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : कहीं-कहीं तो शैड्यूल्ड कास्ट के मिनिस्टर को भी नहीं घुसने देते हैं और अगर वह किसी बड़ी बरादरी के बर्तन में खाना खा ले तो वह बर्तन भी जला दिया जाता है ।

श्री सरजू पाण्डेय : कहीं-कहीं ऐसा भी होता है ।

इसलिए सब से पहली बात यह है कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति के हों उन को सरकार की ओर से सब सुविधायें मिलनी चाहिएं लेकिन सरकार किसी को भी सुविधा नहीं देती है । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान को छोड़ कर संसार भर में कहीं भी स्वीपर नहीं होता है । हिन्दुस्तान में स्वीपर को ऐसी दशा में रखा जाता है कि उस को कोई गाड़ी नहीं दी जाती है। पाखाने की सफ़ाई के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया जाता है। उसके लिए खाना नहीं, कपड़ा नहीं मकान नहीं है । सरकार की तरफ़ से सुधार क्या किया जाता है ? मैं ने गांवों में देखा है कि हरिजनों के घरों के आंगन पक्के कराये जा रहे हैं, उनके घर में धुंआं निकलने के लिए छेद बनाये जा रहे हैं । पूछने पर मुझे बताया गया कि हरिजनों को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाया जा रहा है । उनके घर का आंगन पक्का हो जाये उन के घर में धुआंकश हो जाए और खाना चाहे हफ्ते में केवल दो बार ही पके यह सुधार मेरी समझ में नहीं आता है ।

राज्य सरकारें तो इस मामले में भयानक अपराधी हैं। वे किसी तरह का सुधार करने के लिए तैयार नहीं हैं । आज गांवों में हरिजनों को बसाने के लिए जमीन नहीं है । जितनी भी बंजर जमीन है सारी की सारी पर गुंडों और लट्ठबाजों ने कब्जा कर लिया है । राज्य सरकारों से मैं बात करता हूं तो वे कहती हैं कि हमने अफसरों को आदेश दे रखे हैं कि वे समरी ट्रायल करके इस तरह की जमीन से उनको बेदखल करें और इस भूमि को भूमिहीनों में बांट दें । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बतायेगी कि पूरे प्रदेश में भूमिहीनों में कितनी जमीन बांटी गई है जिनके पास जमीन नहीं थी उनको बसने के लिए कितनी जमीन दी गई है या खेती के लिए कितनी जमीन दी गई है । एक इंच भी जमीन उनको नहीं दी गई है चाहे आप कागजों में कुछ भी लिख दें । कागजों में तो हो सकता है कि उनको दी गई हो लेकिन वास्तव में उनको नहीं दी गई है । आपकी कागजी योजनाओं का तो यह हाल है कि गधों पर अगर इन सब कागजों को लाद दिया जाए तो दो चार गधे तो जरूर मर जाएंगे लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल सकता है ।

श्री बाल्मीकी : यह दोष तो अधिकारियों का हुआ ।

श्री सरजू पाण्डेय : अधिकारी भी तो आपके ही बनाए हुए हैं । आप भी यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं जब आप बोलने लगते हैं । आप खुद भी जब बोलते हैं तो इस तरह की बातें ही कहते हैं ।

जितने आपके अधिकारी हैं इन सब का पिछड़े वर्ग वालों के प्रति रुख बहुत ही भयानक होता है । अगर कोई बड़ी जाति का आदमी किसी छोटी जाति के आदमी को मारता है तो थानेदार उसकी रिपोर्ट भी लिखने को तैयार नहीं होता है । यह सिर्फ इसलिए कि छोटी जाति का आदमी होना ही उस आदमी

के लिए सब से बड़ा पाप है। उस अवस्था में सदन की कोई जरूरत ही नहीं समझी जाती है। छोटी जाति के आदमी को ही सजा दे दी जाती है, उसको ही तरह तरह से तंग किया जाता है।

आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को लीजिये। उसमें कितनी पिछड़ी जातियां हैं। सारी की सारी जातियां वहां पिछड़ी जातियां हैं। जब एक बार मैंने यहां कहा था कि वहां का आदमी गोबरहा खाता है तो एक माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे इस पर दुख हुआ था। मैं आज भी कहता हूं कि आप जा कर देख लें कि वहां आज भी गोबरहा के लिए जो बैल खाकर अनाज पाखाना करता है उस के लिए मारपीट गांवों में होती है। लेकिन यहां कहां जाता है कि गलत बात है। यह बड़ी लज्जाजनक स्थिति है।

एक माननीय सदस्य : शिवनारायण जी ऐसा नहीं मानते हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : वह भी मानते हैं इसको अठारह वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद भी . . . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : झगड़ा फिर शुरू कर दिया है आपने लेकिन सदन में गणपूर्ति ही नहीं है। झगड़ा भी तो पचास आदमियों के सामने होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है . . . कोरम हो गया है . . . . . माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री सरजू पाण्डेय : जहां तक पिछड़ी जातियों का सम्बन्ध है उनकी दशा दयनीय है और यह बात हमारे देश के लिए बहुत ही लज्जाजनक है। समाजवाद से इसका किसी हालत में भी मेल नहीं बैठ सकता है। दुनिया भर के सिद्धान्तों और वेद शास्त्रों इत्यादि की सारी बातें की जाती है। लेकिन कथनी और करनी में महान अन्तर है। शासक पार्टी के लोग मुझे पता नहीं कब तक इस तरह से लोगों को धपले में रखेंगे। ये सब तरह की गलत बातें लोगों में रात दिन करते रहते हैं।

दूसरी तरफ आप यह देखें कि इन पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सरकार ने किया क्या है, क्या काम किया है ? आज भी पिछड़ी जातियों के आदमी चारपाई पर नहीं बैठ सकते हैं, आज भी पिछड़ी जातियों के लोग वोट नहीं दे सकते हैं। उनकी यहां तक दुर्दशा होती है कि वे पीटे जाते हैं अगर वे विरोधियों को वोट देते है। बैलों की तरह से सब कांग्रेसी भी उनको पिटवाने में पुलिस का साथ देते है। उनको कहा जाता है कि जिनको तुमने वोट दिया है उन के खेत को जा कर काटो उन्हीं से मजदूरी लो हम नहीं देंगे। गांवों में घरों में लोगों को कांटा लगा कर बन्द कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम पेशाब नहीं कर सकते हो पाखाना नहीं कर सकते हो। पुलिस नहीं सुनती है उस प्रदेश के मंत्रीगण नहीं सुनते हैं। केन्द्र के किसी मंत्री को कहा जाता है तो वे कहते है कि प्रान्तीय सरकारें आजाद हैं। वे ऐसी आजाद हैं कि आपके सिर पर चढ़ कर खड़ी है। ऐसी आजादी प्रान्तीय सरकारों की आपने कहीं नही सुनी होगी। तमाम पिछड़ी हुई जातियां देश में हैं चाहे वे जंगली जातियां हों या हरिजन हों या दूसरी जातियां हों उनकी दशा बहुत ही बुरी है। हरिजनों की बात आप छोड़ें ब्राह्मणों में भी एक जाति है जो कि भीख मांगने का काम करती है। यह रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है जिसको महापात्र कहते है। दूसरी कम्युनिटीज में भीख मांगने वाले तो हैं ही ब्राह्मणों में भी भीख मांगने वाले है। उत्तर प्रदेश में भी वे हैं दूसरी जगहों में भी है। ठाकुरों में भी है ऐसे लोग

श्री सिंहासन सिंह : ठाकुर भीख नहीं मांगते हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : गोरखपुर में नहीं तो गाजीपुर में मैं आपको दिखा सकता हूं। गांवों में पवनी वर्ग है, बरतन मांजने वाले हैं, पत्तल बनाने वाले लोग हैं, तेल निकालने वाले लोग हैं, हजामत बनाने वाले लोग हैं, तथा दूसरे और कई काम करने वाले लोग हैं, इन सब की जो दुर्दशा होती है, वह बयान नहीं की जा सकती है। सरकार दुनिया भर की बातें करती है। लेकिन तेली, नाई, धोबी, हरिजन, भंगी, दर्जी आदि की क्या हालत है, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। मुसलमानों में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, अपने दूसरे धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है।

समय बहुत कम है और मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर बटवारा होना चाहिये। सिर्फ इसलिये कि पिछड़े लोगों के साथ खाना खा लिया जाए, कोई लाभ नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि उद्योगों के लिए वे कर्ज लेना चाहें तो उनको कर्ज मिल सकता है। अव्वल तो उसको कर्ज मिलेगा नहीं और अगर किसी तरह से मिल भी जाए उद्योग धंधे के लिए तो जितना उसको कर्ज मिलता है उतना पैसा उसको जमानत तलाश करने में घूस के तौर पर देना पड़ जाता है। यह जो रवैया है उनके प्रति इसको बदला जाना चाहिये। उनको जमीन मिलनी चाहिये। उनको रोजगार मिलना चाहिये, उनको सर्विसिस दी जानी चाहियें। साथ ही साथ यह कानून बनाया जाना चाहिये कि जो भी आदमी उनके साथ बुरा बरताव करेगा, उस केस में पुलिस इंटरवीन कर सकेगी और अगर पुलिस दखल नहीं देती है तो पुलिस को भी सजा दी जाए। इस तरह का जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, पुलिस उनके मामलों में दखल नहीं देगी, तब तक पिछड़ी जातियों का उद्धार नहीं हो सकता है। फिर चाहे पोथा आप कितना बड़ा क्यों न लिख कर हमारे सामने रख दें।

मैं चाहता हूं कि प्रगति की रिपोर्ट हमारे सामने हर वर्ष आनी चाहिये। सारी की सारी चीज लिख कर मंत्री महोदय लायें। जब लिखने लगते हैं तो बहुत सी गलत बातें भी लिख दी जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। हमारे पास सच करने का कोई उपाय नहीं होता है। आप से ही हम कह सकते हैं। जब आपसे कहते हैं कि मंत्री महोदय ने गलत बात कही है तो आप भी कह देते हैं कि आप चैलेंज क्या कर सकते हैं, वह जो चाहें कहें। इसलिये साल-ब-साल रिपोर्ट आनी चाहिये और उस पर बहस होनी चाहिये। इस तरह की चीजें जो मैंने बताई हैं, कानून बना कर रोकी जानी चाहिये। सर्विसिस में उनके लिए आपने रिजर्वेशन कर रखा है लेकिन उनको सर्विसिस भी नहीं मिलती हैं। मुश्किल से जितनी भी बड़ी सर्विसिस हैं उन में वे चार पांच प्रतिशत लिये गये हैं और दूसरी सर्विसिस में तो इतने भी नहीं लिये गये हैं। उनके साथ जो पशुओं का सा बरताव करते हैं उनके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाए। सरकार को चाहिये कि उनके खिलाफ वह सख्त कदम उठाये। उनको सर्विस मिले या न मिले, सम्मानपूर्वक जीने का गरीबों को अधिकार होना चाहिये। खास कर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके प्रति जैसे भी हो, लोगों को रवैया बदलने की कोशिश की जानी चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) उपाध्यक्ष महोदय, बैकवर्ड क्लासिस कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। बहुत से

भाइयों ने इस के सम्बन्ध में बातें बतलाई हैं। मैं भी अपने विचार आपके सामने....

उपाध्यक्ष महोदय : आप आगे आ जाइये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है ... गणपूर्ति हो गई है .... माननीय सदस्या अपना भाषण जारी रखें ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : बैकवर्ड क्लासिस कमिशन की रिपोर्ट पर जो चर्चा हो रही है, इसमें अच्छी अच्छी बातें भी हैं। कुछ पुरानी बातें भी यहां चल रही हैं। पुराने जमाने की तमाम बातों पर बहस करना मुझे पसन्द नहीं है। वह राजा महाराजाओं का जमाना था। उनकी गलती नहीं थी। समाज की गलती नहीं थी। समाज का ढांचा ही ऐसा था कि इनके साथ अन्याय हुआ और अन्याय किया गया। मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहती हूं। आइंदा क्या करना है यह मैं आपको बतलाना चाहती हूं। पुराना जमाना आज आप न रखें। आज जो जमाना चल रहा है उसके मुताबिक आप काम करें।

रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है और सही भी है। सर्वोदयी नेता काका साहेब कालेलकर इस कमिशन के चेयरमैन थे और सर्वोदयी भावना से उन्होंने यह रिपोर्ट दी है। दो साल तक सोच सोच कर और घूम घूम कर यह रिपोर्ट बनाई है। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि 1955 में यह रिपोर्ट आ गई थी इसको आज दस साल के बाद क्यों यहां विचारार्थ पेश किया गया है ? पहले आपको पेश करना चाहिये था। कमिशन में जो लोग थे क्या उनको कोई लड्डू मिलने थे, क्या वे कुछ लेने वाले थे। कमिशन के सदस्यों ने सोच विचार के बाद यह रिपोर्ट दी है। आज इसको बहस के लिये इतने समय के बाद लाना अच्छा नहीं है। इसको मैं उचित नहीं समझती हूं। जो कुछ कहना हो खुल्लमखुल्ला कहना चाहिये। उसे छिपा कर क्यों रक्खा जाये। कई बार बहुमत दल वाले पचास पचास, साठ साठ मेम्बरों ने दस्तखत करके भेज दिया कि कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करो, लेकिन नहीं सुना। जब विरोधी दल वाले कहते हैं तब करते हैं। यह बात हमें पसन्द नहीं आती। जो कुछ घर वाले कहते हैं। उसको टाल देते हैं। हमारे श्री यशपाल सिंह जी यहां पर बहस लाये इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं। सरकार को मालूम होना चाहिये कि हम भी कुछ इस बात को सोचते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज में कुछ सुधार लाना चाहिये, उन के लिये कुछ काम करना चाहिये। हम भी अपने कुछ सिद्धान्त रखते हैं।

आज यहां पर गांधी जी और पंडित जी के सिद्धान्तों पर चलने वाला राज्य है। हम क्लासलैस सोसायटी बनाना चाहते हैं इसलिये कहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेज लिखा है उस को मत लिखो। लेकिन हम को समाज को सुधारना चाहिये। दूसरे मुल्कों में भी इसी तरह से होता है। सोसायटी जो हुआ करती है वह उसी तरह से होती है जैसे कि इन्सान का जिस्म। उसमें कान, नाक, हाथ, पैर सब ठीक रहना चाहिये। अगर हाथ पैर नहीं होते तो हमें लंगड़ा कहा जाता है, आंख नहीं होती तो अन्धा कहा जाता है। इसलिये सारी सोसायटी को पूरी तरह से ठीक रहना चाहिये। सोसायटी की प्राइमरी नीड्स पूरी होनी चाहिये, नहीं तो यह सोसायटी चलने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूं कि आज हमारे देश में डिमाक्रेसी या प्रजातन्त्र है जो कि वोट्स से चलती है। जहां पर आज लोग मुसीबत में हैं उन को न देखना, उनको इग्नोर करना, यह ठीक बात नहीं है।

कमीशन की रिपोर्ट में कई अच्छी बातें लिखी हैं जैसे उनको जमीन देना, उनकी पढ़ाई

[श्रीमती लक्षमी बाई]

का इन्तजाम करना, उन के लिये इंडस्ट्रीज बढ़ाना जरूरी है, लेकिन यह काम आपने कहां शुरू किया है । कहीं कहीं पर हो रहा है, इसको मैं कबूल करती हूं, लेकिन उनकी दिक्कतें इतनी हैं कि यह काम बहुत कम है और हम को जल्दी से कदम बढ़ा कर यह काम करने चाहियें ।

मैं दो तीन बातें कहना चाहती हूं । एजूकेशन के बारे में कई बातें बतलाई गई हैं । जबकि बैकवर्ड क्लास को कोई सुविधा नहीं दी जाती तो ये शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं । मैं कहती हूं कि नाम से मत कोई चीज करो लेकिन अगर सोसायटी को आगे बढ़ाने के लिये, उनका डेवेलपमेंट करने के लिये कुछ काम किया जाता है तो कोई हर्ज नहीं है । हमारे यहां के ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं । वह ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं है, उनके लिये कोई दूसरे इन्तजाम नहीं हैं । बड़े लोग उनको साथ आने नहीं देते हैं । बड़े लोग सोचते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के साथ, नाई के साथ, धोबी के साथ, वह पढ़ेंगे नहीं । यह बात नहीं होनी चाहिये । एजूकेशन के सिलसिले में सिर्फ शहर के लोगों का ध्यान किया जाता है । हमारी सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को और एजूकेशन डिपार्टमेंट को इसको देखना चाहिये ।

हमारी तीसरी प्लैन में यह लिखा गया है कि चालीस लाख रुपये हैं फार कंस्ट्रक्शन आफ बिल्डिंग्स इन रूरल एरियाज एण्ड अरबन एरियाज । लेकिन उस में से अब तक 6 लाख रु० खर्च हुए हैं । इसमें इस तरह के रूल्स रक्खे गये हैं । इस राशि को लेने के लिये कोई आगे नहीं आ सकते आप चाहे उसे जहन्नुम में डालें या कहीं भी डालें, हमारा काम बनना चाहिये और सब का भला होना चाहिये । मेरा कहना यह है कि गांवों की तरफ हम को ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये, वहां पर एजूकेशन ज्यादा देनी चाहिये, वहां पर ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं । गांवों से लेकर तालुका हेडक्वार्टर तक अगर आप इस कमीशन की रिपोर्ट पर वैसे के वैसे अमल करें तो हम चुप रहने के लिये तैयार हैं । हम मुंह बन्द करके बैठे रहेंगे । मगर चूंकि अमल होता नहीं है इसलिये कहना पड़ता है । उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको सरकार नहीं करती है । सोशल सिक्योरिटीज वाले भी न खुद कुछ करते हैं और न गांव वालों को कुछ राय देते हैं । मैं पूछना चाहती हूं कि सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री वाले क्या करते हैं । वे कहते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० वाले हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं । लेकिन कितने हाउसेज बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के लिये बनाये गये ।

अब आप एजूकेशन को देखिये । यहां एजूकेशन वाले कोई बैठे नहीं हैं । हरिजन, गिरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लिये 2 लाख रु० स्टाईपेन्ट्स के लिये रक्खे गये हैं । लेकिन अजीब तमाशा है कि उसी जगह पब्लिक स्कूलों के लिये 10 लाख रु० स्कालरशिप्स के लिए रक्खे गये हैं । यह कितनी खराब बात है । पब्लिक स्कूल कहां पर हैं—सिटीज के अन्दर । उन को 10 लाख रु० दिया है । और पूरे हिन्दुस्तान के हरिजन, बैकवर्ड क्लासेज और गिरिजनों के लिये 2 लाख रु० । यह हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ।

रिजर्वेशन बहुत बुरी बात है । हम लोगों को भी रिजर्वेशन पसन्द नहीं हैं । हम भी उस को चलाना नहीं चाहते हैं । रिजर्वेशन के बारे में कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि बैकवर्ड क्लासेज के लिये रिजर्वेशन करना तो उसी तरह से है जैसे कि डाक्टर्स के लिये पेशेन्ट्स का रिजर्वेशन कर दिया जाये । उनके लिये सर्विसेज में रिजर्वेशन उसी तरह से है जैसे कि अलग अलग डाक्टर्स के लिये मरीजों का रिजर्वेशन । जैसे कहा जाता है । कि कान के बीमार को कान के डाक्टर के पास जाना

चाहिये और आंख के बीमार को आंख के डाक्टर के पास जाना चाहिये । लेकिन इस में बुरी बात क्या है । कमीशन वालों ने कुछ ऐसी बात लिखी है जो कि बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि उनकी बातों पर अमल नहीं होता है । आज जरूरत है कि सोसायटी का सारा ढांचा बदले और जो जो सहूलियतें समाज को चाहियें वह दी जायें ।

आज कहा जाता है कि बैकवर्ड क्लासेज का नाम मत लिखो, उसको बिल्कुल हटा दो । इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर हमें इसके लिये तैयार रहना चाहिये कि जो बीमार बच्चा हो उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाये । उसके खाने पीने, रहने सहने, पढ़ने आदि के लिये जो भी सहूलियतें हों उनको दी जानी चाहियें । खाने वाले खाते रहें और मरने वाले मरते रहें, यह नहीं होना चाहिये । आज सोशल सिक्योरिटी वाले जो हैं वह गांव वालों के लिये क्या करते हैं । वह केवल उन्हीं लोगों के लिये हैं जिन को कोई कमी नहीं है । गांव वालों के लिये सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर का रहना और न रहना एक ही बात है क्योंकि वह तो यहां बैठे रहते हैं । यह मिनिस्ट्री जितना पैसा खर्च करती है उसको निकाल कर स्टेट्स को दे दिया जाये । मैं जानती हूं कि आज पैसे का अभाव है और दुश्मनों से हमें लड़ना है तथा पैसे की बचत करना है इसलिये इस सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को खत्म करके वह पैसा स्टटेस को दे दिया जाये और बैकवर्ड क्लासेज के बजाय वह बैकवर्ड एरियाज को दिया जाये जहां कि जरूरतमन्द लोगों को मदद की जा सके । जब भी हम यहां सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से कुछ कहते हैं तो वह कह देते हैं कि यह तो स्टेट सब्जैक्ट है । ऐसी बात है तो यहां पर सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री रखते ही क्यों हैं । हमारे कांस्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी लोगों की होगी । इसको स्टेट देख लेंगी । जब भी किसी बात के लिये कहा जाता है तो कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ स्टेट को जो आमदनी होती है इनकम टैक्स से, रेलवेज से, एक्साइज से वह यहां पर आती है और फिर सबमें बांटी जाती है । जो यहां पर प्रिंसली स्टेट्स थीं वहां के लोग बड़े गरीब थे, अमीर नहीं थे, जैसे हैदराबाद है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है वहां पर राजे महाराजे जो होते थे वह गरीबों का कम ध्यान रखते थे इस लिये वहां पर हालत बुरी है । मैं सोशल सिक्योरिटी वालों से प्लीड करना चाहती हूं कि उनको दूसरे मिनिस्टरों से ज्यादा पैसा ऐसे क्षेत्रों को दिलाने की कोशिश करनी चाहिए ।

श्री मौर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री यशपालसिंह जी ने जो इतने प्रयत्नों से बैकवर्ड क्लासेज कमिशन की रिपोर्ट पर बहस कराई है, इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र है । जहां रामराज्य में विश्वास करने वाली कांग्रेस सरकार असफल रही इतनी बड़ी रिपोर्ट पर बहस करवाने में वहां विरोधी दल के एक सदस्य इस महान् कार्य में सफल रहे ।

आज के दिन जब कि हम पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान से घिरे हैं और उत्तर में लाल चीन हमारी आजादी का दुश्मन बना है, उस समय अगर हम कुछ क्षणों के लिये अपना पुराना इतिहास अपने सामने रखें तो एक समझदारी की बात होगी । भारतवर्ष एक दो बार नहीं, बार बार स्वतन्त्र हुआ है । बार बार आक्रमण हुए हैं, बार बार परतन्त्र हुआ है । इसका अर्थ यह नहीं कि भारतवर्ष शक्तिहीन था । इसका अर्थ यह भी नहीं कि लड़ने में हम किसी से पीछे थे । इसका कारण, इस बार बार की पराजय का कारण केवल

15.31 hrs.

[SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA *in the Chair.*]

एक ही रहा है कि हम यहां पर वर्णों में, जातियों में और उसमें भी छोटी छोटी जातियों में बंटे हुए थे । छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे । यहां पर कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लड़ने

[श्री मौर्य]

का काम सौंपा गया था । करोड़ लोगों को अपनी भारतमाता की रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था । बल्कि उनको मानवता का जीवन बिताने का भी अधिकार नहीं था और यही कारण था कि हम बार बार गुलाम हुए और वह आजादी आज भी, यह कहने के लिये मुझे क्षमा कीजिए अध्यक्ष महोदय, वह आजादी जो कि हमने बहुत मुश्किलों से ली है, बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल की है उसको केवल 18 वर्ष ही हुए हैं, एक बार नहीं दो बार हम पर आक्रमण हुए हैं । एक बार हम मजबूती से मुकाबिला नहीं कर पाये और दूसरी बार हमने आक्रमणकारी का मुंह तोड़ा है । वह दो दो हमले अठारह वर्ष में हमारी आंखों को खोलने को काफी हैं । जो गलतियां हमारी पहले इतिहास में रही हैं, उन गलतियों को हम सुधारें । यही मेरा आपसे निवेदन है और आपके द्वारा आज की सरकार से निवेदन है ।

यहां पर आदरणीय सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं । यह हमारा सौभाग्य है कि इतने समझदार, इतने निपुण और पिछड़े वर्ग के इतने बड़े शुभचिन्तक आज इस विभाग के मन्त्री हुए हैं । यह हमारा सबका सौभाग्य है । लेकिन साथ ही साथ मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह का रवैया चल रहा है इस तरह के रवये पर चल कर हम देश की आजादी को ज्यादा दिन तक कायम नहीं रख सकते हैं । इस देश में 3 करोड़ शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग 7 करोड़ शैड्यूल्ड कास्ट के लोग और 18 करोड़ बैकवर्ड क्लास के लोग, अगर इन 28 करोड़ लोगों की ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं जायेगा तो चन्द गिने चुने रहनुमा, चन्द पूंजीपति, चन्द प्रिविलेज्ड क्लास के लोग, चन्द बुद्धिजीवी इस देश की आजादी को सुरक्षित नहीं रख सकते । श्रीमन्, यहां पर हमारे साम्यवादी या कम्युनिस्ट भाई एक चर्चा किया करते हैं कि अगर आर्थिक विषमता को दूर कर दिया जाय, आर्थिक विषमता के पहाड़ को ढहा दिया जाय तो समता आ जायेगी, समाजवाद आ जायगा । मैं उनके इस चिन्तन से इत्तफाक नहीं करता । वह एक बहुत बड़ी भूल करते हैं । यह सफलता उनको रूस में मिल सकती थी और मिली । यह सफलता उनको चीन में मिल सकती थी और मिली । लेकिन इस तरह की विचारधारा कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती इस भारतवर्ष में जहां कि जातियों ने जन्म वर्ग को दिया है, वर्ग ने जातियों को जन्म नहीं दिया है । यहां पर जातियों के कारण आर्थिक विषमता के पहाड़ खड़े हुए, आर्थिक विषमता के पहाड़ों के कारण जातियां पैदा नहीं हुईं । पहले यहां जातियां बनीं, पहले यहां वर्ण व्यवस्था बनी और तब गरीबी अमीरी के झोंपड़ी और महल खड़े हुए । इनको इस तरह आप नहीं काट सकते । यह कोई बुद्धिजीवी का चिन्तन नहीं होगा यदि आप यहां पर आर्थिक विषमता की बात करें । यहां पर जातियां पहले और आर्थिक विषमता बाद में पैदा हुई । यहां पर बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं जो पहले मिनिस्टर बने, ऐसे बहुत से डिप्टी कलेक्टर हैं, एक चमार आई० ए० एस० बना । उसने इसी छुआछूत की बात पर इस्तीफा दिया । यू०पी०के अन्दर यह घटना घटी । मिनिस्टरों के साथ यह छूआछूत होता है । तो यह जो उनका चिन्तन है कि आर्थिक विषमताओं के कारण जाति-पांति है, आर्थिक विषमताओं के कारण कुरीतियां हैं, यह कोई बुद्धिजीवी का चिन्तन नहीं है । यहां पर जातियां बहुत गहरा घर कर गई हैं और जब तक हम उन जातियों को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता ।

परम पूज्य बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी की शुभ विचारधारा और उनके चिन्तन के कारण यहां पर एक सिद्धान्त बना—"अन्तोदय", (दि लास्ट

फर्स्ट— (The last first) सब से पहले वह जिनका जातियों के नाम पर शोषण हुआ, धर्म के नाम पर जिनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हुआ, जिनको शहरों में नहीं भाबाद होने दिया गया, जिनको बुद्धिजीवी नहीं बनने दिया गया, विद्या अध्ययन का अधिकार जिनको नहीं मिला, जिनको भारत माता की रक्षा करने का, अपने बाजुओं की शक्ति बढ़ाने का अधिकार नहीं मिला, पहले उनका उत्थान करना होगा, अगर आप उनका उत्थान नहीं करते तो समाजवाद आपका एक ढोंग, एक पाखण्ड बन कर रह जायेगा, जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है ।

मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इन्हीं तमाम विचारधाराओं को सामने रखते हुए देश के संविधान में कुछ विशेष सुविधायें रखी गईं—आर्टिकिल 15, 16 और आर्टिकिल 340 इसी कारण रखे गए थे वरना उनकी कोई और आवश्यकता नहीं थी और इसी कारण चूंकि हमारे संविधान में व्यवस्था है आर्टिकिल 340 में, उसी के कारण बैकवर्ड क्लासेज कमीशन नियुक्त हुआ और उसकी रिपोर्ट तैयार हुई । यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेसी सरकार बैकवर्ड क्लासेज की तरफ से उदासीन है, बल्कि उदासीन कहना भी ठीक नहीं होगा, वह बिल्कुल उनके बारे में सोचती ही नहीं, कभी सोचने का विचार ही नहीं करती और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि बैकवर्ड क्लास या पिछड़े वर्ग के लोग एक साथ में नहीं बैठे हुए हैं । मुझे सत्ताधारी वर्ग से कुछ नहीं कहना है । मुझे केवल शोषित समाज से कहना है, क्या वह इस सदन में 250 की तादाद में नहीं हैं ; अगर बैकवर्ड क्लास और शिड्यूल्ड क्लास के लोगों की तादाद इस सदन में 250 है और वह एक साथ चलें तो सरकार उसकी बनेगी जिसकी तरफ इन 250 का इशारा होगा। लेकिन क्या शोषित समाज के नाम पर वह सब एक हैं । क्या एक हो कर वह यहां पर निर्णय ले सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं ? मेरा विश्वास है प्राइम मिनिस्टर वह नहीं बनेगा जिसको कि कोई विशेष पार्टी चाहेगी बल्कि वह बनेगा जिसको कि यह 250 सदस्य जो शोषित समाज के हैं चाहेंगे, जिनकी तरफ इनका इशारा होगा । लेकिन कभी भी वह इकट्ठा होने की बात नहीं करते, कभी भी एकत्रित होने की बात नहीं करते । अपने लिए नहीं, समाज के लिए देश के शोषित समाज को उठाने के लिए कम से कम इस सदन के 250 सदस्यों को जो पिछड़े वर्ग से सीधे सम्बन्ध रखते हैं, जो शोषित हैं, सर्वहारा हैं, अछूत हैं, उनको एक जगह होना सीखना चाहिए ।

समय थोड़ा है, और मुझे आगे बोलने की आज्ञा भी, आप नहीं देंगे, वैसे तो मेरा सौभाग्य है कि आप आज उस आसन पर विराजमान हैं और शायद मेरे सामने यह पहला शुभ अवसर है, इसलिए मैं पांच मिनट की भीख ही आपसे मांग सकता हूं . . . (व्यवधान)

तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो कमीशन इस सरकार ने बनाया उसकी कुछ सिफारिशें हैं । उन सिफारिशों पर काश कि 1956 में काश कि 1957 में ध्यान दिया जाता तो जो आज कमियां हमारे सामने हैं, आज जो देश कुछ कमजोर नजर आता है, वह कमजोरियां नजर नही आतीं । काका कालेलकर जो इस कमीशन के चेयरमैन थे . . .

Shri Hajarnavis: May I suggest that if there are more number of speakers than can be contained within the time allotted, I for one would have no objection if the time is extended, because Government would certainly like to have everyone's views before they make up their mind.

श्री शिवनारायण (बांसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो घंटा समय बढ़ा दिया जाय ।

Mr. Chairman: The Speaker will take a decision on this. In the meantime, the Member may continue his speech.

श्री मौर्य : श्रीमन्, मेरे समय में से इसको मत काटियेगा । काका कालेलकर ने अपनी भूमिका में ही तीसरे पन्ने पर इस तरह कहा है—

"It is unfortunate that the Swaraj Government which is struggling hard to establish social justice has been left to atone for the blind and conservative attitude and the traditional policy of the upper classes, with the result that even though Government is prompted with the best of motives, litle credit is given to it, and all the evils of the social system are levelled at it."

श्रीमन्, काका कालेलकर ने स्वयं अपने शब्दों में इस बात का इजहार किया । उनको डर था, उनको भय था कि स्वयं एक माननीय मिनिस्टर के शब्दों में एक स्टील फ्रेम बना हुआ है जिसमें यह समाजवाद की तस्वीर जड़ी हुई है हालांकि उससे वास्तविकता नजर नहीं आती । जब तक कि इस स्टील फ्रेम को न तोड़ा जायगा तब तक समाजवाद की सच्ची तस्वीर नहीं बन सकती ।

काका कालेलकर ने इसी पन्ने पर आगे कहा है --

"We have now to see if there are any defects in the framework of the Constitution itself, or the policy of the Government, by which the enlightened conscience fails sufficiently to organize itself and forces of selfishness; self-aggrandisement and mutual suspicion are oftentimes allowed to be organised and pitted against each other leading unwittingly to a class conflict. I am led to believe that such defects are present both in the Constitution and in the policy of the Government."

श्रीमन्, जब तक इन कमियों को दूर न किया जाय तब तक जो आज सिफारिशें इस कमिशन की हैं वह पूरी नहीं हो सकती । इस कमिशन की सबसे पहले सिफारिश श्रीमन्, एक थी । उस सिफारिश में उन्होंने सबसे पहले लिखा था कि बैकवार्ड क्लास का उत्थान करने के लिए, शोषित समाज का कल्याण करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री, एक पृथक मंत्रालय का निर्वाचन हो, एक पृथक मंत्रालय बने और उसका जो मंत्री हो वह कैबिनेट का भी सदस्य रहे । इस तरह की यह इसकी सबसे पहली रिकमेंडेशन थी । लेकिन उस ओर कोई भी ध्यान आज तक नहीं दिया गया । सोशल सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट बना दिया है जिसमें बहुत से काने लूले लंगड़े अन्धे भी शामिल कर दिये गये हैं । यह सब इस तरह की बातें हैं जिनसे ऐसा पता लगता है कि यह कमिशन केवल एक 'आई वाश' करने के लिए केवल वहां पर कुछ परिस्थितियों के कारण बना दिया गया था और उसके बाद चूंकि वह शक्तियां नहीं रही, जिन्होंने इस कशिमन की नियुक्ति कराई, आज वह शक्ति इस देश में नहीं है, मिट गई, हालांकि उसके मानने वाले मौजूद हैं, तब उसकी रिकमेंडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । काश कि आज यहां पर बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जीवित होते तो मेरा विश्वास है कि शतप्रतिशत इसकी सिफारिशों को मान लिया जाता जो कि इस कशिमन ने रखी थीं । लेकिन वह नहीं है ।

इसकी दूसरी सिफारिश थी कि एक सन् 61 की मर्दमशुमारी से पहले सन् 57 में मर्दमशुमारी हो और उसमें उन जातियों के नाम लिखे जांय, जो कि अछूत हैं, उनके नाम लिखे जायें जो कि शोषित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, मर्वहारा है, उन सब जातियों के नाम लिखे जाय और यह भी देखा जाय कि उनकी प्रतिदिन पर कैपिटा आमदनी कितनी है ? अगर इसको देखा जाता तो पता लगता कि मर्ज कितना गहरा है, मगर देखा नहीं गया । मैं इस सदन में कितनी ही बार कह चुका हूं

कि इस देश के दस करोड़ सर्वहारा लोगों की "पर कैपिटा" रोजाना की आमदनी दस नए पैसे हैं। जब तक इनके पर कैपिटा इनकम को नहीं मालूम करेंगे जब तक आप इनके मर्ज को नहीं मालूम करेंगे, तब तक इलाज नहीं कर सकते।

इसी तरह से इसमें सिफारिश थी कि शोषित समाज के 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मैं तो चाहता हूं कि इस देश के सारे 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था हो चाहे वह बच्चे हिन्दु, मुसलमान, सिख, इसाई, जैन, बुद्ध किसी के भी क्यों न हों, काले हों, गोरे हों। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उन बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कीजिए जिनके पूर्वजों का इस देश के में शोषण हुआ है, जिनका इस देश में पतन हुआ है, जिनकी इस देश में लूट हुई है। उनका इस देश के ऊपर कर्जा है जो आपने लिया था, अब उसको वापस कीजिए। हमारी यह मांग है कि इस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में जितने भी पिछड़े वर्ग के बालक हैं उनकी शिक्षा की निः-शुल्क तथा अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह कमीशन बेकार रहा, इसको क्यों बनाया गया? अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो जो संविधान में व्यवस्था दी गयी है उसका आप पालन नहीं करते।

यही नहीं, श्रीमन्, मिनिमम वैजेज के बारे में भी इस कमीशन ने सिफारिश की है एग्रीकल्चरल लेबर के लिए। इस पर फौरन अमल होना चाहिए। देहातों में जो पिछड़े वर्ग के लोग खेतिहर मजदूर हैं उनके लिए कम से कम मजदूरी नियुक्त होनी चाहिए। लेकिन उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मिनिमम वैजेज एक्ट बना तो जरूर लेकिन आज तक किसी भी प्रान्त में पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। एक भी देहात इस देश में ऐसा बता दो जहां पर यह मिनिमम वैजेज एक्ट एग्रीकल्चर लेबर पर लागू किया गया हो।

इसी तरह से, श्रीमन्, कई और सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गयी हैं, लेकिन उनको लेकर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। पर उन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया।

मैं इस बात को जानता हूं कि कांग्रेस सरकार एक डाक्टर है, लेकिन वह बिजिनेस माईंडेड डाक्टर है। मैं यह मानता हूं कि यह सरकार शोषित समाज को ऊंचा उठा सकती है। मैं मानता हूं कि इसमें ऐसा करने की क्षमता भी है, लेकिन इसके मन में एक बड़ा लोभ और एक लालच है जिसके कारण वह इन वर्गों को अपाहिज रखना चाहता है, इस शोषित समाज को अपाहिज रखना चाहती है। या वह ज्यादा दिन में इस बीमारी को ठीक करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, लेकिन यह सरकार किसी लालच के कारण इस बीमारी को ज्यादा दिन चलाना चाहती है।

जैसा कि आप यहां देख रहे हैं शोषित समाज को राजनीतिक संरक्षण से कोई लाभ नहीं हो रहा है। न असेम्बलीज में और न पार्लिया-मेंट में इस रिजर्वेशन से उनको लाभ हुआ है। आपको इसे समाप्त करना चाहिए, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जाता, और व्यवस्थाएं की जाती हैं।

सरकारी नौकरियों में जब संरक्षण की बात आती है तो कहते हैं कि इसमें एफी-शेंसी सफर होगी, उनकी इंटेग्रिटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर्स में मिल सकते हैं, चमार, भंगी माहिरों में मिल सकते हैं, धोबियों में मिल सकते हैं। इस सदन में जो देश का सर्वश्रेष्ठ सदन

[श्री मौर्य]

है इसमें बैठने वाले योग्य अछूत सदस्य मिल सकते हैं और इस कारण इस सदन की योग्यता, इस सदन का एफीशेंसी, इस सदन का सम्मान नीचा नहीं होता, तो अगर आप कुछ शोषित लोगों को कलक्टर बना दें, कुछ को कमिश्नर बना दें या गवरनर बना दें या कुछ बड़ी बड़ी नौकरियों पर रख दें तो उससे एफीशसी जरा भी सफर नहीं करेगी । लेकिन आप के मन में एक मनोवृत्ति आ गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि आप या तो इस मनोवृत्ति को बदलो वरना इस देश में एक क्रान्ति होगी, बड़ी भयंकर क्रान्ति होगी जिसको हम और आप मिल कर भी नहीं रोक पायेंगे । पेश्तर इससे कि यह क्रांति हो आप अपने इस रास्ते को बदल दीजिए । नहीं तो :—

"हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे"।

हमारे पास कोई सभ्यता नहीं, हमारा अपना कोई कल्चर नहीं, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी वजह से हम रुक जाएं देश में क्रान्ति करने से । हम क्रान्ति करने के तमाम तत्व अपने में रखते हैं, वे सारे तत्व हमारे समाज में हैं । लेकिन हम रुके हुए हैं भारतीय सभ्यता के नाते, भारतीय कल्चर के नाते, धर्म के नाते, पूर्वजों की उस सभ्यता के सम्मान के नाते जो उन्होंने हम को दी है । लेकिन अगर हमारी स्थिति को सुधारा न गया, तो वह कल्चर वह सभ्यता क्रान्ति में डूब जाएगी जो कि कल होने वाली है । इसी लिए मैंने कहा—

हम तो डूबगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे ।

श्री शिव नारायण : मान्यवर, आज एक बहुत पवित्र रिकमंडेशन पर हम इस सदन में विचार कर रहे हैं । इसदेश का बहुत बड़ा ढांचा है, 80 आदमी एक तरफ हैं और 20 आदमी एक तरफ हैं । यह सारा राज, समाज ऐश, इशरत इस 20 परसेंट के लिए है । सरकारी अधिकारी मिनिस्टर, बिजनस, सब इस 20 परसेंट की जेब में है । इस देश में बाकी 80 प्रतिशत लोग जानवरों का जीवन जी रहे हैं ।

मेरे मित्र ने फरमाया कि आपको पता नहीं है । मैं उसी इलाके से आता हूं जहां से श्री सरजू पाण्डेय आते हैं । यह सही है कि वहां आज भी हरिजन गोबर का अनाज खाते हैं । मैं इनकी कांस्टीट्यूएंसी में गया । मैं ने देखा कि वहां आज भी राव के मैल का पानी पिला कर और दो आने रोज देकर एक मजदूर से काम लिया जाता है । यह अवस्था गाजीपर में मैंने देखी है । आज भी वहां यह जुल्म और सितम हो रहा है ।

हमने फ्रेंच रिवाल्यूशन का इतिहास पढ़ा है । यहां पर फ्रांस की लहर कहने से नहीं आयगी । समय उसे अपने आप उत्पन्न कर देगा । लेकिन उसके लिए जाग्रति की आवश्यकता है, समाज में क्रान्ति की आवश्यकता है ।

मैं कहना चहता हूं कि इस रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए । मैंने यह असेम्बली में भी कहा और यहां भी गवनंमेंट से कहता हूं कि इस रिजर्वेशन को बन्द करे । लोगों को सिलेक्शन से लो । बिठा दो इम्तिहान में चाहे चमार का बेटा हो चाहे ब्राह्मण का हो । जो इम्तिहान में पास हो उसको ले लिया जाय । हमारी कांस्टीट्यूएंसी का एक लड़का पी.सी.एस. के इम्तिहान में बैठा । वह थ्योरी में पास हो गया लेकिन उसको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया । वह लड़का खूबसूरत था और अच्छा लगता था, ऐसा नहीं मालूम होता था कि वह चमार का लड़का है । इलाहाबाद यूनीवरसिटी से उसने पास किया था । आज इलाहाबाद यूनीवरसिटी का सारे देश में नाम है । उस यूनीवरसिटी से जिस लड़के ने सैकिंड डिवीजन में पास किया उसको सिलेक्शन बोर्ड ने रिजेक्ट

कर दिया। जब हम प्रैक्टिकल में पास होते हैं तो हम को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये कमियां हैं। या तो आप सब डिगरियों को बन्द कर दीजिए और ऐसा रूल बना दीजिए कि जो हाई स्कूल पास होगा वह क्लर्की करेगा, जो इंटरमीजीएट पास होगा वह टीचरी करेगा और जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा या डाक्टर होगा वह मिनिस्टर होगा। श्री कैनेडी ने अमरीका में दीनों को बुला कर मिनिस्टर बनाया.... (व्यवधान) सुनिए सुनिए, हमारे भी लड़के दीन हो सकते हैं। यहां एक तो बैठा है एम०ए०एल० एल० बी० फर्स्ट क्लास का है और प्रोफेसर है अलीगढ़ यूनीवरसिटी में। देख लीजिए (व्यवधान)

हमारे देश की जो दशा है उसका सबूत हमारे जनसंघ के मित्र ने दे दिया है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि हम दासानुदास हैं। हम आज खरल में पिस रहे हैं।

दो फूल साथ फूलें किस्मत जुदा जुदा है,
एक पिस रहा खरल में, एक ताज में जड़ा है।

आज हरिजन के विषय पर चर्चा हो रही है और हमारे मित्र बार बार कोरम का प्रश्न उठा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनको इस विषय में कितना इंटरेस्ट है उनको हम से कितनी हमदर्दी है। ये हमारे भाई हैं। इनसे मैं पूछता हूं कि आप हम को क्यों कोसते हैं। मान्यवर, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मुझे ब्राह्मण ने वोट दिया, चमार ने वोट दिया, मुसलमान ने वोट दिया, सब ने वोट दिया। मैं पबलिक का प्रतिनिधि हूं और उसी हैसियत से इस हाउस में आया हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यह रिजरवेशन समाप्त होनी चाहिए। यह कवास उसी दिन समाप्त हो जानी चाहिए थी जिस दिन स्वराज्य मिला था।

आज ही सबेरे आपने देखा कि हमने बनारस हिन्दु यूनीवरसिटी के मामले को स्थगित कराने में लीड ली। हम कमजोर नहीं है। हम देश के भविष्य को जानते हैं। आज देश में हमारी पोजीशन बढ़ी हुई है। हम एकता के सूत्र में बंधे हैं। इस सूत्र को हम भंग नहीं करना चाहते हैं। हमने समय समय पर कहा है और आज भी कहते हैं कि

दिल जले जब फरियाद करते हैं,
तो आसमां हिल उठता है।

मैं कहता हूं सरकार से उसे कुछ करके दिखाना चाहिए।

"कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोइ"

जो करना हो सो करो। डू आर डाई, ये दो शब्द गांधी जी ने सन् 1942 में क्विट इंडिया आन्दोलन के समय कहे थे। पर हमने इस पर आज अमल करना छोड़ दिया, कांग्रेस सरकार ने इस पर अमल करना छोड़ दिया, वरना आज देश का नकशा बदल गया होता। यहां कोई हरिजन मिनिस्टर नहीं बैठा है। गवर्नर, एम्बैसेडर और कलक्टर आदि ऊंचे पद पर कोई हरिजन नहीं है। इसका अर्थ है कि हम पर विश्वास नहीं किया जाता है।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : क्या माननीय सदस्य बनना चाहते हैं ?

श्री शिव नारायण : सरकार की नीति और कार्य में ये कमियां है, जिन को मैं पायंट आउट कर रहा हूं। हमारे बच्चों को लड़ाई के जमाने में बहुत गालियां सुननी पड़ी। उनको कहा गया कि हम फ्रंट पर लड़ रहे हैं और ये वजीफा ले रहे है। ऐसी बातें सुनना बहुत पेनफुल होता है। जब मैंने नेशनल सिक्युरिटी के मिनिस्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि दिल खोल कर बोलो। मैं दिल खोल कर कहता हूं, लेकिन अगर सरकार उस पर एक आना भी अमल कर दे, तो पौ बारह हो जायें।

[श्री शिव नारायण]

मेरे सूबे में हरिजन वैलफ़ेयर ग्राफ़िसर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया हैं और चमार धोबी भी हैं। सरकार की तरफ से हरिजनों को कुंए के लिए जो पैसा दिया जाता है, उस में से ग्राधा वे ले लेते हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर के ध्यान में यह बात दिलाई गई कि समरियावां के एक चमार को केवल पचास रुपए दिए गए और साढ़े सात सौ रुपये ब्लाक प्रमुख और बी० डी० ओ० खा गए। । इस बारे में सरकार, उस की मशीनरी, अधिकारी और सी० आई० डी० क्या कहते हैं। यह तो एक छोटी सी बात है। लेकिन बड़ी बड़ी बातों के बारे में भी यही स्थिति है ।

इन समस्याओं का हल यह है कि सरकार एडूकेशन को फ्री कर दे। चाहे किसी का भी बेटा हो, सब एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन में पढ़ें। उन की ड्रेस, खाना और कपड़ा सब एक से हों। बनारस और लखनऊ आदि नगरों में विश्वविद्यालय न रखे जायें, बल्कि गुरुकुल आश्रम स्थापित किये जायें, जैसे कि ऋषि दयानन्द ने स्थापित किये थे। ऋषि दयानन्द के बताए हुए मार्ग पर चल कर ही हरिजनों का कल्याण हो सकता है---इस बकवास से नहीं। जब तक यहां पर अंग्रेजी की गिट-पिट रहती है, तब तक इस देश और हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ा शोर हुआ है, लेकिन अंग्रेजी को नहीं छोड़ा जाता है, जिसकी बदौलत यह झगड़ा हुआ है। कौन नहीं जानता है कि अंग्रेज यहां पर हिन्दू और मुसलिम यूनिवर्सिटी बना कर गया है? इन तमाम बुराइयों का डट कर, भेदभाव मिटा कर, आनेस्टली, ऐज इंडियन्ज, ऐज हिन्दुस्तानीज, मुकाबला करना चाहिए।

हमारे जिले में राजा बस्ती के घर के पीछे सौ घर खटीकों के बसे हुए है, जिन के लिए राजा जिम्मेदार था। वास्तव में वह जिम्मेदार था, लेकिन बाद में जमींदार हो गया। । पहले वे लोग एक दूसरे के सुख-दुख में शामिल थे, लेकिन अब वह व्यवस्था मिटती जा रही है और अब कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है। अब अफ़सरान लोगों को तंग करते हैं। आज मैं स्वयं दुखी हूं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मुझे तंग किया जाता है। मैं ने डिपुटी होम मिनिस्टर को लिख कर दिया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, पुलिस वाले सुनते नहीं हैं।

अगर यह गवर्नमेंट लोगों का कल्याण करना चाहती है, तो वह एक सी शिक्षा लागू कर दे और सब लोगों को ईमानदरी से इम्तहान में बैठने दे। उस में जो भी पास हो जाये, चाहे वह ब्राह्मण हो या चमार, उस को ले लिया जाये। इस से कल ही सारी प्राबलम हल हो जायेगी।

ब्लैक मनी के बारे में मैंने सबेरे सवाल पूछा था, लेकिन गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया। अगर फिनांस मिनिस्टर आज ही यह फ़ैसला कर दें कि सौ और हज़ार रुपये के नोट बदल दिये जायेंगे, तो सारा ब्लैक मनी बाहर आ जायेगा और समाजवादी व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। तनख्वाहों में एक और दस का रेशो कर दिया जाये। इस से हरिजन और ब्राह्मण का सवाल नहीं रह जायेगा ।

जहां तक खेती का प्रश्न है, आज गांवों के मजदूर का कोई मददगार नहीं है। उस को साल में चार महीने काम मिलता है: सरकार को उनके उत्थान के लिये कदम उठाने चाहिएं।

आज इस देश में इस बात की जरूरत है कि हम अंग्रेज के वरदान को सलाम करें, पी० एल० 480 को सलाम करें। हम उपवास कर के रहेंगे, लेकिन दूसरे के अनाज पर

निर्भर नहीं रहेंगे। दुख में रहेंगे, सुख में रहेंगे, देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, कहु भेष में रहेंगे, तऊ रावरे कहलायेंगे। यह देश हमारा है और हम इसके लिए मर-मिटने के लिए तैयार हैं।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज का सवाल हल करने के लिए वह रिजर्वेशन को एबालिश कर दे और फ्री एडूकेशन कर दे। इससे सब समस्या हल हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, को धन्यवाद देता हूं।

Shri Basumatari (Goalpara): Mr. Chairman, Sir, after listening to the speakers who preceded me, I feel a bit embarrassed because according to them there should not have been any reservation or any such provision. These provisions have been incorporated in the Constitution due to the wish of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation. He wanted that all those people who were called the untouchables, or very backward and who were very much neglected during the British regime should be brought forward and helped. That was the main purpose of the special provision for the Tribals, Scheduled Castes and the backward classes. With this end in view, the special provision has been incorporated in the Constitution.

Now, since the report has been published, I have read it three or four times, from the time when it was submitted to the President. But the main purpose has been frustrated and the report in the sense that it is far from what Mahatma Gandhi wanted. According to this report, about 80 per cent of the population has been taken as backward. If 80 per cent of the population is to be taken as backward, how could the purpose which Mahatma Gandhi had in mind be served? This report has been kept in cold storage, in the waste-paper basket. I do not know for what purpose the mover of this motion, Shri Yashpal Singh, has brought this motion before the House, but I am grateful to him because, this report, which had been in cold storage for so long, is now being discussed in this House.

Now, this is not the only report on the subject. Reports after reports and Commissions after Commissions have been coming in, and have been appointed. Whenever some Member raise the question in Parliament, a committee used to be appointed and thus so many reports have been submitted to Parliament. After this report, the Renuka Ray Committee has been constituted; there also, it has been pointed out the economic conditions of the backward classes and the depressed classes. That nice report was also submitted long past. After that, another committee was constituted under the leadership of the late Dr. Verrier Elwin; that report was also found to be very elaborate. If all these reports had been studied and the measures implemented, I do not think any more Commission or Committee need be appointed rather; it would be just wasting the time and money. Again, the Dhebar Commission was constituted; this was called the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission. There also, it was stated that a large community remains backward and it pointed out the reasons why those people were so backward and how they have been neglected so far and how those people were exploited, all that. All this was elaborately stated in the report. Still, I do not know why so many committees had been constituted. You know, Sir, another sub-committee was also constituted to go into the question of the nomadic tribes in the hill and in the plains.

Now, I come back to the Constitution. During the British days, the backward communities were known

[Shri Basumatari]

as Scheduled Castes and Scheduled Tribes or whatever it may be; they were found to be very backward. The purpose of the reservation for these people under the Constitution is to bring all these backward communities to the same level with the other communities. The question is whether this aspect of the matter has been looked into. We have gone to the fields; we have been travelling all over India, in various committees and in various capacities. In the name of backward classes, other advanced communities are benefiting. Again some committees have been constituted by the State Government also, but still the burning problem remains and nothing has been done. Of course, if I say nothing has been done, it might distort the meaning of the development of the country. These communities have also developed side by side with other communities, but their development is so slow that still the disparity between these classes and other communities is very wide.

16 hrs.

Take for instance education. After independence, educational development has taken place all over India. But if you look at the condition of scheduled castes and scheduled tribes, it is only 3 per cent. Under the circumstances, unless the mentality and outlook are changed, I do not see how a speech here or a cry there will improve their condition. The ministers and the government must look into this matter.

If you examine in detail how the administration is run, you will find there are disparities. In the House itself you will find disparities. There is no lack of disparity here. I do not like to create any misunderstanding in the minds of the ministers or the government, but the fact remains that this community has not been looked after.

Take the services. In spite of the reservation made for scheduled castes and scheduled tribes, if you see the list, you will find that the scheduled castes and scheduled tribes for not even one per cent. This is their lot. I do not want to go into details and create misunderstanding. I only hope that Government would be very careful to do justice to these people to bring them to the same level with others by giving them more facilities in the field of education, services, economic uplift, etc.

The late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, used to say that education is the main thing which can bring up these people.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

Mr. Chairman: The bell is being rung—Now there is quorum. He may resume his speech.

Shri Basumatari: I was referring to what our great leader Shri Jawaharlal Nehru used to say, namely, "only by education we can bring these people up and fill up the gap. So, better education should be given to the scheduled castes and tribes. Government has started public schools and sainik schools." But there is no reservation for scheduled castes and tribes in those schools. These schools are best in the sense that they are run by the best teachers. Unless the teachers are good, good education cannot be imparted. If good education is deprived to these scheduled castes and tribes, how can they develop? Unless they get reservation in those schools also, they cannot get admission there because there is so much of competition.

In my own State of Assam—I do not know about other States—in spite of the reservation, not even 1 per cent of the vacancies has been filled with scheduled castes and scheduled tribes.

In the Centre also, not even 1 per cent is filled with these people. If the disparity goes on like this, I do not know what benefit will be derived by the scheduled castes and scheduled tribes with all these reports. Therefore, Mr. Sheo Narain is quite right when he said, "You wipe out all these special provisions." Of course, he spoke in emotion and anger. I would like to support his feelings, but not the actual thing he said.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Sir, the report of the Backward Classes Commission is a valuable document which deals elaborately with the problems of the socially and educationally backward classes of India other than the scheduled castes and scheduled tribes. The report tells us the criteria of backwardness and the measures to be adopted to eradicate the backwardness of these classes. India, for centuries, has been a land of castes, high and low, with rigid distinctions. Social restrictions in the matter of inter-marriage and inter-dining have prevented the intermingling of the different castes. The upper castes have enjoyed all powers and privileges, while the lower castes have suffered several hardships, both social and economic. Casteism has been a great evil which has marred India's unity and solidarity. With the attainment of independence and with the adoption of democratic socialism as the country's goal, the government and the nation have decided to eradicate the evil of social discrimination and the sense of high and low which is a negation of democracy. Mahtama Gandhi and Pandit Nehru emphasised that swaraj would have no meaning if the social evils were not eradicated.

Adult franchise has given power to the masses and the Indian Constitution has made adequate provisions for the uplift of the backward classes.

The measures the Government should adopt for the uplift of the backward classes should be varied and effective. The objectives of the government should be full employment and the removal of economic and social inequalities. Any plan for the economic reconstruction of the country must include measures for the speedy uplift of the backward classes.

I come to the measures of uplift. One of the measures for the uplift of the backward classes is a sound land policy. The land-ceiling Acts, the Cultivating Tenants Protection Acts and Fair Rent Acts passed by the State Governments are beneficial measures for the backward classes.

The most backward people in the villages are agricultural labourers. They form more than 30 per cent of the rural population. The available government land and the surplus land available after ceilings should be distributed among the landless agricultural labourers. Revival of cottage and village industries would give them opportunities for employment. Minimum wages should be fixed for agricultural labourers and they should be given housing facilities, drinking water facilities and educational and medical facilities. The small farmers should be given timely credit and marketing facilities. Cattle insurance scheme should be implemented for their cattle.

The second measure for the uplift of the backward classes is development of industries. At present, people of backward communities are employed only as unskilled labour in industries. They should be given training facilities to improve their skill. Suitable men from backward communities should be recruited and trained for higher ranks of service in government-controlled industries. Short-term training courses in all industrial establishments should be introduced for the benefit of the backward classes.

[Shri Muthiah]

The conditions of communities engaged in cottage and village industries are unsatisfactory. Government should help them to improve their technique of production and to organise themselves on modern lines. The largest cottage industry in India is the handloom industry. This industry supports more than one crore of people. The handloom weavers come under backward classes. They are poor, and their standard of life is low. The handloom industry has to be protected from unfair competition by the mills. The following measures should be adopted to help the handloom weavers: (i) clear demarcation of production execlusively in the handloom sector, and the reserving of bordered sarees and dhoties for the handloom sector; (ii) adequate supply of yarn of required counts and colours at reasonable prices; (iii) bringing all the weavers into the co-operative fold, to protect them from exploitation by middlemen and master weavers; (iv) exploring foreign markets for handloom fabrics; and, (v) purchasing handloom products by the governments, Central and State, for their requirements.

The conditions of the village oil producers who produce oil with their indigenous ghanis or oil presses are not satisfactory. The oil mill industry has affected their industry, and has kept them poor and backward. To rehabilitate them it is necessary to reserve the crushing of edible oil seeds to the village oil presses.

The village artisans such as the carpenters and blacksmiths are a backward class. They are making useful articles for the villagers. They should be helped by government and their decaying crafts should be encouraged to flourish.

The fishermen in the coastal areas are backward and poor. They require adequate government help. Money should be provided for them either as subsidies or as loans for making boats and buying nets; machanised boats and nylon nets should be supplied to them. They should be organised on a co-operative basis.

The denotified communities, which in the past were considered as criminal tribes, should be adequately rehabilitated. They should be provided housing facilities, educational facilities and employment facilities. These communities should be recruited to the army and the police in large numbers since many of them are known for their strength and bravery.

The shepherds in villages should be provided with grazing facilities for their sheep, and their sheep should be protected from disease.

The scavengers in towns and rural areas are most backward. They deserve special help from Government. Other backward communities such as the village potters, washermen and barbers should be also uplifted by Government.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

Mr. Chairman: The hon. Member may resume his seat. The Bell is being rung.

There is quorum now. The hon. Member may continue his speech.

Shri Muthiah: The backard classes are subject to various kinds of exploitation. Measures to save them from such exploitation are quite essential. Suitable co-operative institutions should be set up for this purpose. The backward classes in the villages require better communications, better sanitation, drinking water supply, housing facilities and educational facilities. Most of them live in miserable mud-huts with thatched roofs. House sites should be provided for them either free or at nominal rates, and financial aid either in the form of subsidies or loans should be given to

them to help them to construct cheap houses. Housing co-operatives should be organised for them.

The measures that the Central Government and the State Governments should take for the removal of social evils are: (i) prohibition by law of social disabilities; (ii) production and distribution of literature on social problems; (iii) liberal use of the press, films, platform and radio for the removal of social evils; (iv) reorganisation of the educational system with special emphasis on the dignity of manual labour; (v) full assistance to promote education among the back ward classes; and, (vi) adequate representation is government services and government controlled industrial establishments for the backward classes.

Important steps have to be taken to promote education among the backward classes, such as: (i) introduction of free and compulsory elementary education; (ii) providing free board and lodging for the poor students of the backward classes in hostels; (iii) starting sufficient number of schools, elementary and secondary, with hostels attached and reserving sufficient seats in the schools and in the hostels for the poor boys of the backward classes; (iv) reservation of seats in colleges, especially in science, engineering, medicine, agriculture, veterinary and other technical and technological institutions for qualified students of backward classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes for a specific period; and, (v) reservation of a reasonable quota of vacancies in government service for qualified candidates from the backward classes other than scheduled Castes and Scheduled Tribes for a limited period without detriment to the claims of other castes and communities and to administrative efficiency.

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया है उसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं । समय इतना कम है कि मैं आपका ध्यान सिर्फ इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 66 की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें काका कालेलकर साहब ने सागर में गागर भर दिया है । सब कुछ उन्होंने इसी पैराग्राफ 66 में जो कि पेज 14 पर है, रख दिया है । इस पैराग्राफ में उन्होंने जो विश्लेषण किया है उसमें सबसे पहली बात यह कही है कि सबसे पहले माताओं और बहनों का सुधार होना चाहिये । **वीमेन आर दि मोस्ट बैकवर्ड पीपल अकार्डिंग टू दि रिपोर्ट,** उन्होंने रिपोर्ट में जहां पर 1 से लेकर 15 तक बैकवर्ड क्लासेज की बात उठाई है वहां उसी के सामने नान बैकवर्ड की चर्चा भी की है । यदि हमारी माताओं और बहनों का सुधार हो जाता है चाहे वे किसी भी वर्ग में हों तो हमारे समाज का सुधार हो सकता है । हमारे यहां कहा जाता है कि उसी देश की प्रतिष्ठा होती है जहां पर माताओं की पूजा होती है । मगर हम कहते तो यह बात जरूर हैं लेकिन इसको मानते नहीं कि

"यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है और वह देश धन धान्य से पूर्ण होता है । देश जिसको आप कहते हैं चाहे वह हिंसा की ओर जाय या कुछ हो यदि वहां महिलाओं और पुरुषों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है तो उसकी चर्चा बड़े अच्छे शब्दों में की है । जिस तरह से बाइबिल में टेन कमान्डमेंट्स हैं उसी तरह से काका कालेलकर ने बड़े सुन्दर शब्दों में रेमेडीज भी दी हैं । आखिर में उन्होंने तीन क्लासेज किये हैं ए. बी. सी. । उन्होंने कहा कि **अमेलियोरेशन आफ दि बैकवर्ड क्लासेज** के लिये एक मिनिस्ट्री की स्थापना हो । उसी को इस बार दूसरे ढंग से हमारे प्रधान मंत्री जी ने सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के नाम से स्थापित करके काका कालेलकर साहब की सिफारिश का बड़े सुन्दर ढंग से पालन किया है । इसका नाम सचमुच यही रहना चाहिये क्योंकि यह उनकी यूनैनिमस

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

रिकमैन्डेशन है । उन्होंने कहा है कि बैकवर्ड क्लासेज की जो सबसे बड़ी चीज है वह रिपोर्ट के पेज 25 पर पैरा 110 में है । काका कालेलकर साहब ने जो रिपोर्ट की प्रस्तावना है, उसमें लिखा है :

16.20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

"One important unanimous recommendation of ours is regarding the formation of a separate Ministry for the amelioration of the condition of all the backward classes, called the Ministry of A.B.C."

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ए.बी.सी. इन तीन अक्षरों की व्याख्या कर रहा था । सचमुच में देश में ऐ से जैड तक बहुत से वर्ग हैं, लेकिन इन में ए बी तथा सी की सर्व प्रथम गणना है । इन बैकवर्ड क्लासेज में महिलायें भी आती हैं वे चाहे किसी भी वर्ग की हों । तो जरूरत है कि हम इस प्राब्लम को देखें और जब हम इन सब बातों को देखेंगे तभी हमारे समाज की नव रचना हो सकेगी । इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे संविधान के रचियताओं ने संविधान में धारा 340 रखी है और उसमें इन सब बातों का बहुत ज्यादा जिक्र किया है ।

ये लोग जो 30 करोड़ की संख्या में देश के विभिन्न भागों में हैं इन के लिए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने काफी काम किया है । इसका विवरण सन् 1955 की रिपोर्ट में दिया गया है । लेकिन जो भी काम किया गया है उसने अभी तक इस कमीशन की सिफारिशों के फ्रिंज तक को नहीं छू पाया है । इसमें हमारी सरकार की फाइनेन्शल स्ट्रिजेंसी भी कारण हो सकती है । लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पिछड़े वर्गों को उठाना होगा और जो यूनानिमस रिकमेन्डशन इस कमीशन ने की हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए । अगर आप चाहें कि यह काम केवल सोशल सिक्योरिटी के नाम से एक मिनिस्ट्री कायम कर देने से हो जाए, तो नहीं हो सकेगा । इन अभागे लोगों के जो प्राबलम हैं उनको यह विभाग छू नहीं सकेगा । इसलिए मैं आपसे और आपके द्वारा राष्ट्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अभी बहुत काम करना बाकी है । यह प्राबलम बहुत बड़ी है ।

एक और चीज के बारे में कह कर मैं बैठ जाऊंगा । मैं लैंडलेस लेबर के बारे में कहना चाहता हूं । उनकी हालत बहुत खराब है और उनकी दशा सुधारने के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है :

"landless labourer should be given every facility of possession of land, either individually or collectively, and nobody should be allowed to possess land unless he is prepared to hold a plough in his hand"

आप ऐसा करेंगे तो देश की अन्न की समस्या हल होगी । राजा जनक ने भी हल चलाया था । जो गृहस्थ हैं वही अन्न की समस्या को हल कर सकते हैं । आज के जमाने में अगर आप चाहते हैं कि देश को अन्न के मामले में आत्म निर्भर बनायें तो आपको राजा जनक की तरह हल चलाना होगा ।

काका कालेलकर साहब ने कहा है :

"land must go to the man who holds the plough in his hand and works on his land for the major part of the year."

ये मेरी पंक्तियां नहीं हैं । यह तो उस विद्वान सेवक की पंक्तियां हैं जिसने सारे देश को देखा था और समझा था । इसलिए उनकी

बातें सरकार के लिए मान्य होनी चाहिए। हम सरकार के कृतज्ञ हैं कि उसने हमारे लिए काफी काम किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है । इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी सरकार को काफी काम करना है ।

Shri Hajarnavis: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I express my profound gratitude to the Members who have expressed their views freely, frankly, and sometimes not very fairly, on the report of the Commission. Before I come to the observations which fell from the hon. Members I will start with the proposition which no one will deny, that many centuries of subjugation left this country poor, illiterate and completely undeveloped. Even today, after so many years of development, according to the figures of the United Nations our *per capita* income is $78 as against 2,507 of USA and $1,260 of UK. Only two of our neighbours appear to have lower figures than this, namely, Pakistan $74 and Burma 61. Therefor, we had a stupendous task before us when we achieved our independence and the main thing which confronted us, the main difficulty that confronted us, was the great disdisparity in education, living standards and social status. The Constitution set before us as the ideal of a democratic republic. When there are "haves" educationally, economically and politically and "have-notes" tensions are created and the society or community becomes completely unstable. Therefore, whoever wants to achieve a stable, progressive society he must first of all try to reduce the tensions, the disparities. With this view, acknowledging the various disparities which the Indian society suffered from, and the chief amongst them were illiteracy and untouchability, the Constitution made special provisions in Part XVI of the Constitution. Articles 330 to 339 dealt with various communities, and article 340 dealt with backward classes generally.

Under article 340 a Commission was to be set up in order to report to Government. That was done and it is the Report of the Commission placed before the House that is under discussion.

The discussion here has ranged over a wide area. But may I respectfully remind the House that the terms of reference alluded to only a defined area for investigation. It was stated:

> "The President, under Article 340 of the Constitution, appointed the Backward Classes Commission on January 29, 1953, with the following terms of reference:
>
> (a) to determine the criteria to be adopted in considering whether any sections of the people in the territory of India (in addition to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified by notifications issued under Articles 341 and 342 of the Constitution) should be treated as socially and educationally backward classes;"

Now, you will observe two things. First, so far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, there is no dispute. They are already mentioned; they were already enumerated under the various notifications issued under articles 341 and 342 of the Constitution. What was asked of the Commission was to enumerate the classes of persons who, in adition to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, are also socially backward and then to make recommendations as to the steps which should be taken by the Union Government or the State Government to remove any such difficulty to improve their conditions. Therefore, I submit the question of inclusion of any caste in Scheduled Castes or Scheduled Tribes or problems which are dealt with under the provisions of the Constitution relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not properly fall within the subject of the Backward Classes Commission. But the problem, of course, is integrated,

[Shri Hajarnavis]

complex one whole and has got to be viewed as one whole.

Now, one thing that the Commission did was that they said, starting with the fact that caste has left such a permanent deleterious effect upon the whole society, they shall continue to regard caste as the criterion for extending help. They made their own recommendations and the Union Government's observations on them are contained in an admirable memorandum made by the great statesman, Shri G. B. Pant, then Home Minister, in which he observed in paragraph 3:—

> "A plethora of claims were pressed before the Commission for acceptance as distinct and separate categories of backward classes which for lack of trained staff to help them, the Commission found it difficult to analyse. They have further included in their list even communities about whom no other information was available except the names, and abandoned their first idea of preparing a complete glossary of communities. The result of the adoption of such a procedure has been obvious and has led the recommendations of the Commission into difficult straits. The Commission's list contains as many as 2399 communities out of which 913 alone account for an estimated population of 11.51 crores! Scheduled Castes and Tribes will make up another 7 crores."

So, if Backward Classes were to be regarded as a separate group, the Commission wanted us to deal with about 18 crores which is more than half the population of India. That leads me to the observation that the problem of Backward Classes is not a problem of a small minority a small excluded group of the whole society, but the problem of the Backward Classes is a problem of the whole nation. On this I will observe that Shri J. N. Mandal wanted that there should be a separate ministry for the backward community. Anyone, who goes round in our country, will see that a very large majority, almost all the country, is in every sense a backward country. Therefore, to say that "backward class" should be put in charge of one ministry, is, I submit, a suggestion which is not practicable at all. The whole of the Government must be committed in every branch of government and administration to the amelioration and progress of the Backward Classes. As a matter of fact, if today we were asked as to what is the one single objective before the Union Government, we will say that it is to uplift the backward people of India who form the majority of this country.

Therefore, in paragraph 3 having said that if we began to enumerate castes and made a list of Backward Classes on the basis of caste, a very large proportion of the whole population would have to be included, the Government therefore rejected it. Apart from the this practical and administrative difficulties, the matter was taken up in the courts and the Supreme Court decided that to extend help or benefit to a person merely because he is born in a certain community or caste is to commit contravention of the Fundamental Rights is to deny the equality of rights to a citizen of India. I have particularly an instance in my mind of a friend of mine who, as a minister, has an almost illiterate peon. He is a Brahmin. Are the children of that Brahmin going to be denied facilities only because the father and mother of the peon, were Brahmin? On the contrary, there are high officers, belonging to Scheduled Castes not many although, I agree, who are occupying very high positions and are getting remunerative, substantial salaries. Should they not be called upon to bear their own burden for the education of their children? Social justice certainly would require that a man who can

afford to pay will pay and a man who cannot afford to pay, whatever his caste, should not be called upon to pay. After all, what was it that Shri Krishna advised Arjunia? He said:—

दरिद्रान भर कौंतेय

You have got to give it to the indigent. Therefore, very properly, as I said, administratively and obviously on the first principles of social justice and as declared by the Supreme Court in more cases than one, the test of caste was given up.

Apart from this, I want the House to consider whether, having set out to establish an egalitarian society, having declared that we want to have a classless and a casteless society, we are going to perpetuate the caste because a caste is going to get on the basis of that caste certain preferential treatment. I am thankful to Shri Maurya for the generous observations which he made to me. I do not think I will be able to satisfy all his expectations about it; but I will try my best. I agree with him that the question of economic inequality in India may have started in caste distinction, I agree; but if today caste is to be dissolved, two things have to be done aparat from, industrialisation, which is a great leveller of human distinction, education and political rights. So far as political rights are concerned, we have given them to every possible citizen without distinction of caste. So far as his own community is concerned, we have given them separate, guaranteed number of seats.

I was suggesting that if we were not to perpetuate caste, if we were not to create a sense of helplessness in a people, a sense of vested interest in that caste itself, then, as I have already said, the test of caste had to be discarded, had to be given up. That was given up and the Union Government decided, to which the Ministers of States agreed, that henceforth the test to be applied would be economic criterion. The States of Maharashtra and Gujarat had already formulated that. They were following the economic criterion. Andhra Pradesh, Bihar, Kerala, Madras, Mysore, Orissa and Uttar Pradesh wanted to continue their caste-based lines while Assam was in favour. Ultimately, many of them have given up their stand but certain other states have not given it up and we are trying to persuade them. The States which have implemented the decision about economic criterion are Andhra Pradesh, Assam, Mysore, Punjab, Orissa and West Bengal. Madhya Pradesh, which has a large Tribal area, extends concessions to all the Tribals, whether they live in the Tribal area or outside.

Therefore, I think, we have reached a socially equitable decision. Not all the States have followed it, but neither have we enforced it upon them because ours is the path of persuasion. We do not want to force any decision from here. In the Central schemes which we implement through the State Governments we give 100 per cent. There are other schemes in which we contribute 50 per cent. In all these our attempt has been to see that what is being done is to give facilities, concessions to people who economically deserve it.

I think this is something which will be accepted by the House.

Now, I will come to the specific points which were made by various hon. Members. First of all, I will come to what is said to be the largest backward class in this country, namely, the women. The point was raised by Dr. Sarojini Mahishi. I hope all of us are as backward as she is.

श्री वाल्मीकी : महिला तो एक भी सदन में इस वक्त नहीं है

श्री हजरनवीस : जब वे बोलती हैं तो हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब हमारा वक्त आता है तो वे सुनने के लिए क्यों रहेंगी ।

श्री बाल्मीकी : वे जानती हैं कि आदमी उनके साथ न्याय नहीं करते हैं।

श्री हजरनबीस : उनको मालम है कि उनकी तरफ न्याय नहीं है ।

Here, I would suggest that our Constitution as an act of faith made a start with giving political franchise to the women. There are many countries—and there is one very developed country which comes to my mind, that is, Switzerland—which even now deny vote to the women. And yet starting with a population which is illiterate, starting with people who are poor and starting with women who are mostly in purdah, we give them the vote, and there is nothing which accelerates political consciousness and educational advancement as political franchise. We gave them the vote, and after giving them the vote we tried to remove all sorts of social inequalities which the women were subject to. For instance, Hindus were permitted more than one marriage—not that there were many instances of that type—but we introduced monogamy. Then, we give them the right to property. If it is not being exercised it is the women alone who are responsible for this.

We are trying to remove their disabilities in every way. We encourage the education of women. Substantial grants are given to the girls' hostels and the girls' colleges. The University Grants Commission always looks with great favour and with great sympathy upon any application made for any kind of institution for advancement of girls' education. Therefore, there is nothing to suppose that the Government has neglected what is said to be the largest section of backward classes, namely, the women.

Then, my friend, Shri Sheo Narain raised a point about the scheduled castes. I am glad he followed my request to speak freely his mind and he did it with his usual freedom, with his usual verve and with his usual vigour. He complained that there were not many people from the scheduled castes who were appointed in the high offices. I might tell him that during the last three or four years every post opened for the scheduled caste, reserved for the scheduled caste, in the All-India Services has been filled. I might tell him of a story which came within my experience when I was in the Home Ministry. A very young officer who was selected in the Indian Foreign Service came to me and said that he wanted to go back from the Indian Foreign Service—it is the most coveted branch of service—to the I.A.S. I asked him for the reason and he said, "I do not think I will be able to move in society outside." Then, he went on to say that his wife was not educated and so she would not be able to meet people outside. I advised him, "Just as you have been able to educate yourself, you would be able to educate your wife also." I further told him, "It is with great difficulty that we have been able to place you in the Foreign Service. We have all along been urging that men of the backward classes should, as far as possible, be placed in positions of power. So, if you yourself go back, you will be rendering a very great disservice to our cause." He remained in the Foreign Service and I am quite sure he is one of the capable officers in the Indian Foreign Service and I think he has also taken his wife there.

For every kind of post, during the last four years there has been keen competition amongst the Scheduled Castes and Tribes. As the members of the House are aware—I have mentioned it more than once in the House—there are two institutions where special training is imparted to the candidates belonging to the scheduled castes, where they are prepared for the examination—one is at Allahabad and the other, I believe, is in Bangalore. I am very happy to say that, with a little bit of encouragement, they have been able to acquit themselves with distinction. I have dealt with some of the points which have been made.

I agree with Mr. Mandal and with the other members that we have not been able to do much; a little has been done and a great deal remains to be done.

I am not quite sure that the interest of the backward classes is preserved by reservations. Let us take our political behaviour after Independence. There were no seats reserved for women; yet, in every political party you find that seats are found for women candidates; every political party has candidates belonging to scheduled castes and backward classes. It is not reservation, it is the social conscience which is the basis of getting the social rights. I am quite sure that the conscience of the country has been deeply stirred and we are out today to do justice to millions of the people on whom we had inflicted unmerited injustice. I thank the hon'ble members for various suggestions made here and they will certainly be kept in mind.

श्री बाल्मीकी : अन्याय तो आज भी होता है, अब भी होता है।

श्री यशपाल सिंह : मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है। एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जिस ने कि समर्थन न किया हो। इस नाते मैं इस सारे ही सदन का बड़ा भारी आभारी हूं। खास तौर से मैं मंत्री महोदय, हजरनवीस साहब का बड़ा भारी आबलीगेशन मानता हूं कि किसी भी मामले में जब कभी भी हम उनके पास इमदाद के लिये गये हैं, किसी बैकवर्ड क्लास के आदमी के लिये गये हैं, किसी भी पिसे हुये के लिये, विक्टिमाइज्ड के लिये गये हैं, उन्होंने दिल खोल कर हमारी इमदाद की है।

डिप्टी स्पीकर साहब का भी मैं आभार मानता हूं कि उन्होंने इस पर बहस के लिये दो तीन दफा समय बढ़ाया। मैं सभी लोगों का एहसानमंद हूं। लेकिन यह मामला 28 करोड़ इंसानों का है। दो चार भले आदमी या दस बीस दयावान पुरुष इस मामले को हल नहीं कर सकते हैं। इसको हल करने के लिये आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। अट्ठाइस करोड़ इंसानों के लिये साठ प्रतिशत इंसानों के लिये भोजन का, रहने का, तालीम का, दवाई दारु का, उनके लिये इंसाफ का हमें प्रबंध करना होगा। आज कहीं भी कोई किसी तरह का इंतजाम नहीं है। तिब्बत से चालीस हजार शरणार्थी आये और चौबीस घंटों में यहां बस गये, कोठियां खुल गई। कोई हम पर आब्लीगेशन नहीं था। चाहिये तो यह था कि हम उन से कहते कि अपने देश में जाओ, डट कर लड़ो, हम तुम्हारी इमदाद करेंगे। लेकिन हम ने उन्हें भी जगह दी। पर जो सदियों से हल चलाते रहे हैं, इस देश के लिये रातदिन पैदा करते रहे हैं उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मंत्री महोदय सारे भारतवर्ष में केवल एक गांव ही ऐसा बता दें जहां मेहनतकश लोग बसा दिये हों, जहां हरिजन जनता के लिये रहने का इंतजाम हो गया हो। एक भी गांव नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को। मैं कोई जमींदारों का वकील नहीं हूं। मैं सोसलिस्ट हूं। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि आवागढ़ के अंदर एक भी हरिजन शैल्टरलैस नहीं सोता था। आवागढ़ खुद इस बात को रात को देखते थे कि किसी के खाने में कोई कमी तो नहीं है, किसी के मकान में कोई कमी तो नहीं है। आज हमारे माननीय आवास मंत्री श्री मेहरचन्द खन्ना ने इसी हाउस में बताया दिया एक सवाल के उत्तर में कि दिल्ली शहर में 38 मजदूर आकड़ कर मर गये, उन के पास एक चटाई तक नहीं थी। यह तो कैपीटल की हालत है। आपका यह समाजवाद किस तरह से चलेगा? समाजवाद तब

[श्री यशपाल सिंह]

आगे चल सकता है जब बराबर इन्साफ मिलता है।

आप तो कहते हैं कि मुकाबला करो। मुकाबला किस का ? यह मुकाबला कैसे हो सकता जैसा कि आप मुकाबला के इम्तिहान में कराते हैं। एक शख्स घोड़े पर सवार है और दूसरा पैदल है और आप दोनों से कहते हैं कि प्रतियोगिता करके दिखलाओ। वह हर्गिज नहीं दिखला सकता। रुड़की युनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा इंजिनियरिंग कालिज है दुनिया भर में, वहां अंग्रेज का बनाया हुआ यह कानून था कि वहां पढ़ने वालों को मेस में रहना चाहिये, कोटेड, बूटेड और सूटेड आना चाहिये, और खास टेलर मास्टर से कपड़े सिलवाने चाहिये। उस वक्त एक एक लड़के का खर्चा 1200 और 1400 होता था और वहां केवल बड़े आदमियों के लड़के ही पढ़ते थे। मुझे यू० पी० गवर्नमेंट ने वहां सीनेट में भेज दिया। मैं इस संकल्प को ले कर गया था कि मैं इस रूल को तुड़वाउंगा। और मैंने उस रूल को खत्म करवा दिया। मैंने यह रूल बनवाया कि कोई लड़का पाजामा पहन कर इंजीनियरी पढ़ सकता है, कमीज पहन कर इंजिनियरी पढ़ सकता है, 16 रुपये महीने ढाबे में देकर और वहां रोटी खाकर इंजिनियरी पढ़ सकता है। और इस का नतीजा यह है कि आज वहां साढ़े तीन सौ मजदूरों और किसानो के लड़के इंजिनियर बने हुये हैं।

तो यह सिस्टम जिसमें 25 हजार रुपये लगा कर इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है उसमें गरीब आदमी कैसे चुना जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परसोनेलिटी टैस्ट क्या है, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इंटरव्यू क्या है। एक विद्यार्थी जो युनिवर्सिटी में रिकार्ड बीट करता है, जो फर्स्ट पास होता है, जिसने टाप किया है, जिसको गोल्ड मैडल मिलता है, जो राइफिल का निशाना मारने में फार्स्ट आता है। उसका क्या इन्टरव्यू हो सकता है। उसके इंटरव्यू के क्या मानी। उसे अंधेरे में ले जाकर उसका इंटरव्यू किया जाता है। किस चीज का इंटरव्यू लेते हैं, अगर इंटरव्यू लेना है तो उसके हाथ में राइफिल दीजिये, उसको लद्दाख के मोर्चे पर भेजिये, उसको काश्मीर के मोरचे पर भेजिये। लेकिन उसे अंधेरे में ले जाकर उसको सिर्फ इसलिये रिजेक्ट किया जाता है कि उसकी मांग सीधी नहीं थी, मकान के अंदर मकान, मकान के अंदर मकान, ऐसे 6 मकानों में ले जाकर जिस लड़के ने गोल्ड मैडल लिया अंग्रेजी में उसको रिजेक्ट किया जाता। उसकी कमीज की क्रीज खराब है इसलिये उस को रिजेक्ट किया जाता है। ये कानून अंग्रेज के बनाये हुये थे, उनसे आज काम नहीं चल सकता। क्या इस तरह 45 करोड़ लोगों तक इंसाफ पहुंचेगा और क्या यह 28 करोड़ जनता आगे आयेगी क्या उनके रहने का इंतजाम हो गया, क्या उनके बैठने का इंतजाम हो गया? कहते हैं, कि दिल्ली में एक एक चारपाई पर दो दो आदमी सोते हैं, लेकिन आप मेरे साथ देहात में चलिये, वहां हरिजन भैंसों के साथ, अपने बैलों के साथ अपने मवेशियों के साथ सोते हैं जहां यह खतरा रहता है कि अगर बैल उनके ऊपर पैर रख दे तो उनके प्राण पखेरू निकल जायें। आप इस सारे देश में एक गांव भी बतला दें जहां कि इन लोगो के लिये कोई इंतजाम हो। जो रुपया है वह कागजों में खत्म हो जाता है। इस धांधलीबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों को उनका हक देना होगा। जब तक हमारी माइनारटीज आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक देश आगे नहीं जा सकता।

मैं ने पंजाब में देखा कि गली गली श्रौर घर घर में परचे बांटे जाते है, पता नहीं प्रेस को किस ने ऐसा करने की इजाजत दे दी है। मैं श्रापके सामने इन छपे हुए परचों का रेफरेंस दे रहा हूं। उनमें लिखा होता है कि मास्टर तारासिंह को पाकिस्तान भेजा जाये, सन्त फतेहसिंह को जेल में डाला जाये। जहां माइनारिटिज के साथ इस तरह का सलूक होता है वह देश पनप नहीं सकता । इसी माननीय सदन के ग्रादरणीय सदस्य सैदव बदरुद्दुजा साहब एक ग्रमन पसंद इंसान हैं, वह एसे इंसान हैं जिसने ग्राज तक एक चींटी को भी नहीं सताया वह एक इम्प्रोमेंट इंसान है, लेकिन वह जैल में बंद हैं, इसलिये कि कोई उनकी सिफारिश करने वाला नहीं हैं, क्योंकि वह एक माइनारिटी से तालुक रखते हैं इसलिये जेल में बंद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इंसाफ का तकाजा तो यह है कि या तो उनके केस को इस सदन के पटल पर रखा जाये या उनको एक कलम रिहा कर दीजिये जिससे कि ग्रापके इंसाफ में चार चांद लग जायें।

इसी देश के ग्रंदर 6 करोड़ की ग्राबादी गूजरों की है। ये वे गूजर हैं जिन्होंने सब से पहले काश्मीर में इत्तला दी थी कि पाकिस्तान के लोग चले ग्रा रहे हैं, ये वे गूजर हैं, जिनमें से सैकड़ों लोगों के सिर शेख ग्रबदुल्ला की पार्टी ने कटवाए । इन को ऐस भून डाला गया है जैसे मच्छरों को भूना जाता है। लेकिन इन 6 करोड़ लोगों का एक भी एम० पी० नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय: यह बैकवर्ड क्लासेस का मामला है।

श्री यशपाल सिंह : ये भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं ये उसमें लिखे हुये है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इन लोगों के हक इनको नहीं दिये जाएंगे। ग्रौर इनके हक न देकर ग्राप कब तक क्रान्ति को रोके रहेंगे। मैं कहता हूं कि इन हालात में क्रांति के शोले भड़क उठेंगे। ग्राज यह 28 करोड़ जनता ग्रपने पैरों पर खड़ी हो कर ग्रपने ग्रधिकार मांगती है। ये लोग इस तरह से ग्रधिकार नहीं चाहते जैसे कि इनका कोई हक न हो। इनको ग्रगर ग्राप ग्रधिकार देंगे तो इस तरह नहीं कि जैसे ये भिखमंगें हों, ग्रपाहिज हों, कोढ़ी हों। ये वे लोग हैं जिन्होंने रेगिस्तानों को चमन बनाया है, जिन्होंने पहाड़ों को चीर कर रेलें चलाई ह, जिन्होंने देश के ग्रन्न के भंडारों को भर दिया है। ग्राज इन की मांग है।

ग्राज पुरानी तदबीरों से ग्राग के शोले थम न सकेंगे,
उभरे जज्बे दबे न सकेंगे, उभरे परचम जम न सकेंगे।
राज महल के दरबानों से ये सरकस तूफां न रुकेंगे
चन्द किराये के तिनकों से शोले वोपायां ग्रब न रुकेंगे।

ग्राज 28 करोड़ जनता ग्रपने ग्रधिकार मांगती है। भीख नहीं मांगती । ग्राज हालत यह है कि जो गेहूं पैदा करता है वह गेहूं के लिये मोहताज है, जो कपड़ा मिल में कपड़ा तैयार करता है उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं हैं, जो ट्यूब वैल तैयार करता है वह उनमें से चिल्लू भर पानी नहीं पी सकता। ग्राज हालत यह है कि गंगा मां को पूजने वाला बाल्मीकी हरि की पौढ़ी पर स्नान नहीं कर सकता। जिस हरि की पौढ़ी पर कुत्ता जा कर गंध कर सकता है, बिल्ली जाकर गन्दा कर सकती है, जहां हजारों म हड्डियां डाली जाती हैं, वहां परमपिता परमेश्वर का पुजारी गंगा, माता का सपूत बाल्मीकी ग्राज भी स्नान नहीं कर सकता।

[श्री यशपाब सिंह]

मैं आपसे साग्रह प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार करें। आज भी महात्मा गांधी के देश में यह दशा है कि अछूतपन कायम है, इंसान इंसान को अपने से नीचा देखता है। यह मनोवृत्ति बदलनी चाहिये।

और खेती का मसला तभी हल होगा जब कि शोषित जाति के लोगों को अधिकार दिया जायेगा खेती करने का। आज खेती का मसला क्यों हल नही होता? हमारी सरकार की रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान में चालीस हजार ट्रैक्टर हैं और इन में स 22 हजार ट्रेक्टर खराब पड़े हैं। 18 हजार ट्रेक्टरों से 50 करोड़ एकड़ भूमि को कैसे जोता जा सकता? हरगिज नहीं जोता जा सकता। ये 18 हजार ट्रेक्टर तो इतनी भूमि की परिक्रमा भी नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि सुविधायें दें तो कोई वजह नहीं है कि ये लोग जिसको बेकवर्ड कहा जाता है और हरिजन तथा शिडुयल्ड कास्ट कहा जाता है आप के खेती के गेहूं के मसले को हल न कर सकें। अगर इनको सुविधाएं दी जाएं तो ये खेती के मसले को हल कर सकते हैं।

अमरीका में केवल 22 प्रति शत लोग खती करते हैं लेकिन ये 22 प्रति शत इतनी पैदावार करते हैं कि बीस-मुल्कों को खिला सकते हैं और हिन्दुस्तान में 88 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, और फिर भी हम दाने दाने के लिये मोहताज हैं। इस का यह कारण है कि हमने अधिकार नहीं दिया है शोषित जनता को। मैं आपसे आज यह निवेदन करता हूं कि या तो आप इन लोगों को अधिकार दीजिये वरना मैं सच कहता हूं कि इस 28 करोड़ जनता के लिये हम लोग आन्दोलन करेंगे और इनके लिये हम हर मुमकिन कुर्बानी करेंगे और जब तक इन लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House takes note of the Report of the Backward Classes Commission (Vols. I—III) together with the memorandum explaining the action taken thereon laid on the Table of the House on the 3rd September, 1956".

The motion was adopted.

---

17 hrs.

MOTION RE: ANNUAL REPORT OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA—*Contd.*

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I welcome the motion of the hon. Member taking up the discussion of the Report of the Life Insurance Corporation, and I also welcome the large interest shown by some hon. Members in the working of this Corporation. This augurs well, and this interest of Parliament, the supreme body, is a healthy one.

The hon. Mover made a reference to the recommendations of the Committee on Public Undertakings. Government is very much seized of the recommendations of the Committee on Public Undertakings on LIC, and many of the points that he has referred to about the recommendations are under examination of Government. Government has also sent its comments on the recommendations to the Committee on Public Undertakings, and I am sure the Committee will take into account the views of Government in those matters. Although I will refer to the problems as they have arisen, I shall not in any way refer to the recommendations of the Committee because at this stage, when the Committee on Public Undertakings is seized of the views and comments of the Government, it is not customary and it would not be proper for me to refer to them.